आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण,प्रावधानीकरण
और अन्य संबंधित मामलों पर मास्टर परिपत्र

विषयवस्तु

1.	सामान्य	1
2.	अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	1
2.1	अनर्जक के रूप में आस्तियों का वर्गीकरण	1
2.2	एनपीए के रूप में खातों का निरूपण	5
2.2.1	वसूली का अभिलेख	5
2.2.2	एनपीए का निरूपण - उधारकर्तावार न कि सुविधावार	6
2.2.3	कृषि अग्रिम	6
2.2.4	स्टाफ को आवास ऋण	6
2.2.5	भारत सरकार/ राज्य सरकारों की गारंटियों द्‌वारा समर्थित ऋण सुविधाएं	7
2.2.6	परियोजना वित्तपोषण	7
2.2.7	अग्रिमों की पुनर्रचना संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	7
2.2.8	अन्य अग्रिम	14
2.2.9	एनपीए माने गए निवेश पर आय का निर्धारण	15
2.2.10	रिज़र्व बैंक को एनपीए की रिपोर्टिंग	15
3.	आस्ति वर्गीकरण	15
3.1	आस्ति वर्गीकरण	15
3.2	परिभाषा	15
3.3	आस्तियों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश	17
3.3.1	मूल अवधारणा	17
3.3.2	बीआईएफआर/मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्‌वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेजों के अंतर्गत स्वीकृत अग्रिम	17
3.3.3	एनपीए के रूप में आस्तियों के वर्गीकरण की आंतरिक प्रणाली	18
4.	आय निर्धारण	18
4.1	आय निर्धारण नीति	18
4.2	एनपीए हो जानेवाले खातों पर आय का प्रत्यावर्तन	19
4.3	शेयरों और बाँडों में निवेश पर आय दर्ज करना	19

4.4	एनपीए की आंशिक वसूली	19
4.5	ब्याज लगाना	20
5.	प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड	21
5.1	ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड	21
5.2	सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधानीकरण	23
5.3	एससी / आरसी को आस्तियां बेचने के लिए प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड	24
5.4	विशिष्ट मामलों में प्रावधानीकरण के लिए दिशानिर्देश	24
6.	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में भिन्नता	26
अनुबंध - 1	कृषि प्रयोजन के लिए कृषकों को प्रत्यक्ष वित्त	28
अनुबंध - 2	प्रारूप	29
अनुबंध - 3	अर्जक और अनर्जक दोनों प्रकार के अग्रिमों पर उपचित ब्याज के संबंध में पारित की जानेवाली उदाहरणात्मक लेखा प्रविष्टियां	32
अनुबंध - 4	अक्सर पुछे जानेवाले कुछ प्रश्नों का स्पष्टिकरण पैरा	34
अनुबंध - 5	अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंड -प्रमुख अवधारणाएं	39
अनुबंध - 6	पुनर्रचना पर दिशानिर्देश - रिपोर्ट फॉर्मेट	41
अनुबंध - 7	पुनर्रचना पर दिशानिर्देश - उदाहरण	42
अनुबंध - 8	कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के आस्ति वर्गीकरण संबंधी दिशानिर्देश	44
परिशिष्ट		48

मास्टर परिपत्र

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले

1. **सामान्य**

1.1 किसी बैंक के तुलनपत्र मे उसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाने और वित्तीय प्रणाली पर समिति (अध्यक्ष श्री. एन.नरसिंहम) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों के अग्रिम सांविभाग के लिए चरणबद्ध तरीके से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है।

1.2 मोटे तौर पर, आय निर्धारण की नीति वस्तुपरक होनी चाहिए और व्यक्ति सापेक्ष होने के बजाए वसूली रेकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। उसी तरह, बैंकों की आस्तियों को वर्गीकरण वास्तविक मानदंडों के आधार पर किया जाना है जो मानदंडों के समान रूप से और सुसंगत रूप से लागू होना सुनिश्चित करेगा। उधारकर्ता/ गारंटर की जमानत या निवल संपत्ति की उपलब्धता को किसी आस्ति को अनर्जन या अन्यथा माने जाने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रावधानीकरण आस्तियों के विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए।

1.3 राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम और/ या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या अन्य सांविधिक अधिनियमों की अपेक्षाओं का पालन करना, यदि वे एतद्द्वारा निर्धारित से कठोर हो तो, जारी रखा जाए।

1.4 विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू किए जाने से अग्रिमों के वर्गीकरण के लिए स्वास्थ्य कूट आधारित प्रणाली पर्यवेक्षी हित का विषय नही रह गई है। इसलिए संबंधित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं आदि भी पर्यवेक्षी अपेक्षाएं नहीं रह गई है लेकिन उन्हें बैंकों में पूर्णत: विवेकाधिकार और प्रबंधक नीति, आवश्यक समझे तो, जारी रखा जा सकता है।

2. अनर्जक आस्तियां (एनपीए)

2.1 अनर्जक के रूप में आस्तियों का वर्गीकरण

2.1.1 कोई भी आस्ति तब अनर्जक बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय-उत्पन्न करना बंद कर देती है। पहले किसी आस्ति को **`गत देय'** (पास्ट डयू) के आधार पर अनर्जक माना जाता था। अनर्जक आस्ति (एनपीए) की परिभाषा के अनुसार वह ऋण जिसकी ब्याज और/ या मूलधन की किस्त किसी विशिष्ट अवधि के लिए

`गत देय' हो गई हो। इस विशिष्ट अवधि को चरणबध्द तरीके से निम्नानुसार किया गया है :

31 मार्च को समाप्त वर्ष	**निर्धारित अवधि**
1993	4 तिमाही
1994	3 तिमाही
1995	2 तिमाही

किसी राशि को गत देय तब माना जाएगा जब वह नियत तारीख से 30 दिनों के लिए बकाया हो गयी हो। तथापि, 31 मार्च 2001 से `गत देय' की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है तथा अवधि की गणना भुगतान की देय तिथि से की जाती है।

2.1.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ प्रथाओं की ओर अग्रसर होने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से एनपीए का पता लगाने के लिए "90 दिनों "के **अतिदेय** * मानदंडों को लागू कर दिया गया है। इस प्रकार 31 मार्च 2004 से कोई अनर्जक आस्ति ऋण या अग्रिम होगी जहां:

(i) किसी मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/ या मूलधन की किस्त 90 से अधिक दिनों के लिए अतिदेय हो गई हो।

(ii) ओवर ड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 से अधिक दिनों के लिए "आउट **ऑफ आर्डर" @** रहा हो।

(iii) खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 से अधिक दिनों के लिए अतिदेय रहा हो।

(iv) अनुबंध I में सूचीबद्ध कृषि संबंधी अग्रिमों के मामले में पैरा 2.1.5 में निर्धारित अतिदेय संबंधी मानदंड लागू होंगे। अनुबंध I में बताए गए से इतर कृषि ऋणों के संबंध में एनपीए की पहचान उसी तरह की जाएगी जिस तरह गैर-कृषि अग्रिमों के मामलों में की जाती है।

(v) अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जानेवाली कोई भी राशि जो 90 से अधिक दिनों के लिए अतिदेय रही हो।

** किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि जिसे बैंक द्वारा नियत की गई तारीख तक नहीं अदा किया जाता है,* ***अतिदेय*** *कहलाएगी।*

@ "किसी खाते को ***`आउट ऑफ आर्डर'*** *तब माना जाएगा जब बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से लगातार अधिक रहा हो। उन मामलों मे जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत*

सीमा/ आहरण सीमा से कम हो लेकिन लगातार 90 दिनों के लिए कोई राशि जमा न हुई हो या जमाशेष उसी अवधि के दौरान नामे डाली गई ब्याज की अदायगी को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो, ऐसे खातों को ***'आउट ऑफ ऑर्डर'*** *खाते माना जाना चाहिए।*

2.1.3 टियर I बैंक # बैंकों को 90 दिनों के मौजूदा चूक मानदंड के बजाय 180 दिनों के चूक मानदंड के आधार पर स्वर्ण ऋण सहित ऋण खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई है। यह छूट 31 मार्च 2009 तक लागू थी। शहरी सहकारी बैंकों को यह छूट इसलिए दी गयी थी ताकि वर्ष 2009-10 में 90 दिनों के एनपीए मानदंड में परिवर्तित होने के लिए संबंधित शहरी सहकारी बैंक पर्याप्त प्रावधान कर सकें तथा उनके मूल्यांकन, वितरण और वितरण के बाद की क्रियाविधि की मजबूत बनाया जा सकें। दनुसार 1 अप्रैल 2009 से टियर 1 बैंक भी उपर पैरा 2.1.2 में बताए गए अनुसार 90 दिनों के एनपीए मानदंड के आधार पर खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर सकते है।

(i) ₹ 100 करोड़ तक की जमाराशि वाले और एक जिले में कार्यरत बैंक।

(ii) एक से अधिक जिलों में कार्यरत बैंक जिनकी जमाराशि ₹ 100 करोड़ से कम है बशर्ते उनकी शाखाएं निकटवर्ती जिलों मे है तथा एक जिले की शाखाओं की जमारशि और अग्रिम पृथक रूप से बैंक की कुल जमाराशि तथा अग्रिम के 95% होनी चाहिए।

(iii) ₹ 100 करोड़ से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं मूलत: एक जिले में थी परंतु जिले की पुनर्रचना के कारण एक से अधिक जिले में हो गयी। परिभाषा में दी गयी जमाराशि तथा अग्रिम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के आधार पर लिए जाए।

2.1.4 सभी शहरी सहकारी बैंक 1 अप्रैल 2009 से 90 दिनों के एनपीए मानदंडों के अनुसार अपने ऋण खातों को वर्गीकृत करे।

2.1.5 कृषि संबंधी अग्रिम:

(i) 30 सितंबर 2004 से निम्नलिखित संशोधित मानदंड सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों (अनुबंध I में यथा सूचीबद्ध) पर लागू होंगे।

(ए) अल्पकालिक फसलों के लिए दिया गया कोई ऋण तब एनपीए माना जाएगा जब मूलघन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय हो गई हो।

(बी) दीर्घकालिक फसलों के लिए दिया गया कोई ऋण तब एनपीए माना जाएगा जब मूलघन की किस्त या उसपर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय हो गई हो।

(ii) इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजनों के लिए "दीर्घकालिक" फसले वे फसले होंगी जिनका फसली मौसम एक वर्ष से अधिक है। वे फसलें जो दीर्घकालिक नहीं है, "अल्पकालिक" फसलें मानी जाएंगी।

(iii) प्रत्येक फसल के लिए फसली मौसम का अभिप्राय उगाई गई फसल की कटाई तक की अवधि से है जो प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी।

(iv) किसी कृषक द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि के आधार पर एनपीए मानदंड उसके द्वारा लिए गए कृषि मीयादी ऋणों पर भी लागू होंगे। अनुबंध I में निर्दिष्ट एवं गैर-कृषकों को दिए गए मीयादी ऋणों को छोड़कर कृषि ऋणों के संबंध में एनपीए की पहचान उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर गैर कृषि अग्रिमों के बारे में की जाती है जो वर्तमान में 90 दिन चूक मानदंड है।

(v) ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता के साथ नकदी प्रवाह/ तरलता के आधार पर व्यावहारिक पुनर्भुगतान सूची तय की जाए।

2.1.6 एनपीए के रूप में अस्तियों का वर्गीकरण सतत आधार पर किया जाना चाहिए

प्रणाली यह सुनिश्चित करे कि एनपीए की पहचान निरंतर आधार पर की जाती है और किसी कारण से उत्पन्न शंकाओं का समाधान निर्दिष्ट आंतरिक चैनलों के जरिए उस तारीख से एक माह के अंदर कर लिया जाना चाहिए जिस तारीख को निर्धारित मानदंडों के अनुसार खाते का वर्गीकरण एनपीए के रूप में हो गया होता। बैंकों को प्रत्येक कैलेंडर तिमाही अर्थात् मार्च/ जून/ सितंबर/ दिसंबर की स्थिति के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान करना चाहिए ताकि संबंधित तिमाहियों के लिए आय और व्यय खाता तथा समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा तथा तुलनपत्र एनपीए के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाएं।

2.1.7 मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना

(i) बैंक 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से ऋण क्षति की पहचान करने के लिए 90 दिनों के मानदंड को अपनाने के संदर्भ में मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना आरंभ करें और इसके फलस्वरूप उधारकर्ताओं के खातों की बारीकी से निगरानी करें। तथापि, एनपीए के रूप में किसी अग्रिम के वर्गीकरण की तारीख में मासिक आधार पर ब्याज लगाए जाने के कारण परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि पिछले पैराओं में बताया गया है।

(ii) कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने/ चक्रवृध्दि करने की वर्तमान प्रथा फसली मौसमों से सहबध्द होगी एवं मासिक आधार ब्याज लगाने से संबंधित अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे।

(iii) 1 अप्रैल 2003 से मासिक अंतरालों पर ब्याज को चक्रवृध्दि करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें उन अग्रिमों के संबंध्द में जहाँ प्रशासित ब्याज लागू हैं वहां उन्हें चाहिए कि वे बैंक द्वारा लगाए जा रही न्यूनतम उधार दर (उधार दर तय करने के लिए दी गई स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए) को ध्यान में रखते हुए दरें को यथोचित रूप से पुन: संरेखित करें ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। अन्य सभी मामलों में भी बैंक यह सुनिश्चित करें कि प्रभावी दर में मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाए जाने की प्रणाली को अपनाने के कारण वृद्धि नहीं की जाती है।

(iv) बैंक ब्याज लगाते समय उधारकर्ताओं के साथ तरलता और कटाई/ विपणन मौसमों के आधार पर तय की गई तारीख/ तारीखों को ध्यान में रखें और ब्याज को चक्रवृद्धि तभी करें जब अल्पावधि फसलों और कृषि सहायक कार्यकलापों से संबंधित ऋण/ किस्त अतिदेय हो गई हो।

2.2 एनपीए के रूप में खातों का निरूपण

2.2.1 वसूली का अभिलेख

(i) किसी आस्ति का एनपीए माना जाना वसूली अभिलेख के आधार पर होना चाहिए। बैंकों को किसी अग्रिम को, पर्याप्त आहरण अधिकार की अनुपलब्धता, बकाया शेष सीमा से अधिक होने, स्टॉक विवरणों का प्रस्तुत न किया जाना ओर नियत तारीख को सीमा का नवीकरण न कर लेने आदि जैसी कुछ मौजूदा अस्थायी खामियों के कारण एनपीए नहीं मान लेना चाहिए। जहां हानि होने की संभावना हो, या अग्रिमों को वसूली संदिग्ध हो, वहां आस्तियों को एनपीए माना जाना चाहिए।

(ii) किसी ऋण सुविधा को ऊपर पैरा 2.1 में बताए गए मानदंडों के अनुसार एनपीए माना जाना चाहिए। तथापि, जहां उधारकर्ताओं के खातों को उचित स्त्रोतों (अतिरिक्त सुविधा मंजूर नहीं करके या खातों के बीच निधियां अंतरित नहीं करके) से अतिदेय राशि चुकता करके विनियमित कर दिया गया है, वहां खातों को एनपीए वहीं माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि खाते बाद में उचित रूप में रहे और तुलनपत्र की तारीख को या उससे पहले की गई एक मात्र जमा प्रविष्टि को जो ब्याज या मूलधन के किस्त की अतिदेय राशि का शमन करती है, खाते को मानक आस्ति माने

जाने के लिए एकमात्र मानदंड के रूप में हिसाब में नहीं लिया जाता है।

2.2.2 एनपीए का प्रतिपादन - उधारकर्तावार और न कि सुविधावार

(i) किसी उधारकर्ता के संबंध में जिसने किसी बैंक से एक से अधिक सुविधाएं ले रखी हैं, बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाओं को एनपीए माना जाएगा न कि किसी सुविधा विशेष को या उसके किसी भाग को जो कि अनियमित हो गया हो।

(ii) तथापि, सहायता संघ अग्रिमों या बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत वित्तपोषण के संबंध में प्रत्येक बैंक आहरण खातों को अपने वसूली अभिलेख और अग्रिमों की वसूली को प्रभावित करने वाले पहलुओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं।

2.2.3 कृषि अग्रिम - प्राकृतिक आपदाओं के कारण चुकौती करने में चूक

(i) जहाँ प्राकृतिक आपदाएं कृषि उधारकर्ताओं की चुकौती की क्षमता को क्षति पहुँचाती हैं, वहाँ बैंक राहत उपायों के रूप में स्वयं निम्नलिखित कार्रवाई निश्चित करें ;

(क) अल्पावधि उत्पादन ऋण को मीयादी - ऋण में संपपरिवर्तित करें या चुकौती अवधि को पुनर्निर्धारित करें, और

(ख) नए अल्पावधि ऋण मंजूर करें।

(ii) संपरिवर्तन या पुनर्निधारण के ऐसे मामलों में मीयादी ऋणों व नए अल्पावधि ऋणों को वर्तमान देय राशि माना जाए और उन्हें अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत न किया जाए अत: इन ऋणों का आस्ति वर्गीकरण आशोधित शर्तों के द्वारा शासित होगा और इन्हें कृषि अग्रिमों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए लागू वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत एनपीए माना जाएगा।

2.2.4 स्टाफ को आवास ऋण

स्टाफ सदस्यों को प्रदत्त आवास ऋण या उसी प्रकार के अग्रिमों के मामले में जहां ब्याज मूलघन की वसूली के बाद देय होता हैं, वहाँ ब्याज को पहली तिमाही से आगे अतिदेय नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे ऋणों/ अग्रिमों को एनपीए तभी माना चाहिए जब संबंधित सेय तारीख को मूलघन की किस्त या ब्याज का भुगतान करने में चूक हुई हो।

2.2.5 केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण सुविधाएं

(i) केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को अतिदेय हो जाने पर भी एनपीए नहीं माना जाना चाहिए।

(ii) सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए जाने से दी गई यह छूट आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं है।

(iii) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश पर भी आस्ति-वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड लागू होंगे बशर्ते बैंक के प्रति ब्याज एवं/अथवा मूलधन अथवा अन्य कोई भी राशि इस तथ्य से अप्रभावित होकर कि क्या प्रतिभूति प्रभावी हुई है या नहीं, 90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय हो।

2.2.6 परियोजना वित्तपोषण

'परियोजना ऋण' का तात्पर्य है ऐसा कोई मीयादी ऋण जो कोई आर्थिक उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से दिया गया है। सभी परियोजना ऋणों के मामले में बैंकों को ऋण मंजूर करते समय/वित्तीय क्लोझर (बहु. बैंकिंग अथवा सहायता संघीय व्यवस्था के मामले में)के समय वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तिथि (डीसीसीओ) अवश्य निर्धारित करनी चाहिए।

आईआरएसी मानदंडो के प्रयोजन से सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित

दो श्रेणियों में बांटा जाए

(i) इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

(ii) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण। विस्तृत ब्यौरे अनुबंध

9 मे दिए गए है। औद्योगिक परियोजना के लिए दिए गए बैंक वित्त के मामले

में जहाँ ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन उपलब्ध है, वहाँ ब्याज का भुगतान अधिस्थगन या उत्पादन पूर्व अवधि समाप्त होने पर ही देय होगा। अत: ब्याज की ऐसी राशि अतिदेय नहीं होती है और इसलिए ब्याज नामे लिखे जाने की तारीख के संदर्भ में वह एनपीए नहीं होगी। वे, यदि वसूली न गई हों तो, ब्याज के भुगतान की देय तारीख के बाद अतिदेय हो जाती हैं।

2.2.7 अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश नीचे दिए गए अनुसार हैं:

(ए) आस्ति वर्गीकरण मानदंड

2.2.7.1 अग्रिमों की पुनर्रचना निम्नलिखित चरणों में हो सकती है:

(ए) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;

(बी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के `अवमानक' वर्गीकरण के पहले;

(सी) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के `अवमानक' या `संदिग्ध' वर्गीकरण के बाद

2.2.7.2 पुनर्रचना के बाद `मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत `अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए।

2.2.7.3 पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियां पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चलीजाएगी।

2.2.7.4 ऐसे सभी खाते जिन्हें पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, `विनिर्दिष्ट अवधि' के दौरान उनके `संतोषजनक कार्य निष्पादन' देखने के बाद `मानक' संवर्ग में वर्गोन्नत किये जाने के पात्र होंगे। (अनुबंध V)

2.2.7.5 लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्रचित खाते का आस्ति वर्गीकरण **पुनर्रचना के पूर्व की चुकौती** अनुसूची से संबंधित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा।

2.2.7.6 किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को, अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत पहला ब्याज/मूल ऋण राशि की चुकौती, इनमें जो भी पहले हो, देय होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक `मानक आस्ति' माना जाएगा। परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्रचना के पहले `अवमानक' और `संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के अंत में यदि पुनर्रचित आस्ति श्रेणी उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित ऋण है।

2.2.7.7 पैरा 2.2.7.25 के अंतर्गत विशेष विनियमन प्रावधान का लाभ उठाने वाले ऋण खाते पुनर्रचना के बाद पुनर्रचना के पहले का आस्ति वर्गीकरण स्तर पर ही रखे जाएंगे। निर्धारित समय सीमा में खाते में संतोष जनक सुधार नहीं होने की स्थिति में पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियां **पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची** के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चलीजाएगी।

2.2.7.8 यदि कोई पुनर्रचित आस्ति पुनर्रचना के बाद मानक आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि पुनर्रचित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी। परंतु दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्रचित ऐसे अग्रिमों को, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज की पहली चुकौती या मूलधन की चुकौती, जो भी पहले देय हो, उस तारीख से एक वर्ष बाद मानक संवर्ग में वर्गोन्नत किया जा सकता है।

(बी) <u>आय निर्धारण मानदंड</u>

2.2.7.9 पैरा 2.2.7.6 और 2.2.7.22 के प्रावधानों के अधीन, `मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों की ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा `अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए।

(सी) <u>प्रावधानीकरण मानदंड</u>

2.2.7.10 <u>सामान्य प्रावधान</u>

बैंक विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे।

2.2.7.11 <u>पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान</u>

"अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना पुनर्संरचना के **पूर्व** तथा **बाद** में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जानी चाहिए। पुनर्संरचना के पूर्व ऋण के उचित मूल्य की गणना <u>अग्रिम पर प्रभारित</u> <u>की गई पुनर्संरचना के पूर्व विद्यमान ब्याज दर</u> तथा पुनर्संरचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाए गए मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी।" पुनर्संरचना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना <u>अग्रिम पर पुनरसंरचना के पश्चात् प्रभारित की गई ब्याज दर</u> तथा पुनरसंरचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाए गए मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी।"

2.2.7.12 कृपया नोट करें कि उपर्युक्त फॉर्मूला ब्याज दर चक्र के साथ ऋणों के वर्तमान मूल्यों में होनेवाली कमी के उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करता है तथा भविष्य में उसका नियमित रूप से अनुपालन करना होगा। उक्त फॉर्मूले को परिवर्तित करने के लिए, विशेष रूप से वर्तमान फॉर्मूले को वापस अपनाए जाने के किसी भी अनुरोध पर भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा।

2.2.7.13 साथ ही, इस बात को दोहराया जाता है कि उपर्युक्त के अनुसार प्रावधानों की आवश्यकता बैंकों की कार्रवाई के कारण होती है क्योंकि ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुनर्संरचना किए जाने पर ऋण की वित्तीय रियायतों के स्वरूप की संविदागत शर्तों में परिवर्तन होता है। ये प्रावधान अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत खाते के आस्ति वर्गीकरण से जुड़े हुए प्रावधानों से अलग हैं और ऋण की गुणवत्ता में ह्रास के कारण हुई अनर्जकता को प्रतिबिम्बित करते हैं। इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रावधान एक-दूसरे का स्थानापन्न नहीं हैं।

2.2.7.14 इस बात पर पुनः जोर दिया जाता है कि अग्रिमों की पुनर्संरचना संबंधी दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई सभी संशोधन यूनिटों के आर्थिक मूल्य को बनाए रखने के लिए बैंकों तथा उधारकर्ताओं को एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं और उन्हें अग्रिमों को `सदाबहार' रखने के एक साधन के रूप में न देखा जाए।

2.2.7.15 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों द्वारा प्रकाशित वार्षिक तुलन-पत्रों में 06 मार्च 2009 के उक्त संदर्भित परिपत्र के पैराग्राफ 9 के अनुसार अपेक्षित पुनर्संरचित ऋणों के संबंध में प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, बैंकों को उन खातों की राशि तथा संख्या भी प्रकट करनी होगी जिनके संबंध में पुनर्संरचना के लिए किए गए आवेदन प्रक्रियाधीन हैं लेकिन पुनर्संरचना पैकेजों को अब तक अनुमोदित नहीं किया गया है।

2.2.7.16 कार्यशील पूंजी सुविधाओं के मामले में नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट घटक के उचित मूल्य में कमी की गणना ऊपर पैरा 2.2.7.11 के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें बकाया राशि या स्वीकृत सीमा में से उच्चतर राशि को मूल ऋण राशि तथा अग्रिम की अवधि को एक वर्ष माना जाना चाहिए। डिस्काउंटर फैक्टर में अवधि प्रीमियम एक वर्ष के लिए लागू होगा। मीयादी ऋण घटकों (कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण और निधिक ब्याज मीयादी ऋण) के उचित मूल्य की गणना वास्तविक नकदी प्रवाह के अनुसार तथा संबंधित मीयादी ऋण घटकों की परिपक्वता पर लागू अवधि प्रीमियम को डिस्काउंट फैक्टर में मानते हुए की जाएगी।

2.2.7.17 यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई जमानत ली जाती है तो जमानत की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव समाप्त नहीं होगा।

2.2.7.18 उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि बीपीएलआर, अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके। इसके फलस्वरूप, बैंक प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर सकते हैं।

2.2.7.19 यदि विशेषज्ञता/समुचित इनफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में छोटी/ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना बैंक के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में बैंक उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना नोशनल आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्रचित खातों के मामले में जहां बैंक का कुल बकाया एक करोड़ रुपये से कम हो मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष तक कुल एक्सपोज़र के पांच प्रतिशत पर प्रावधान कर सकते हैं। बाद में इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

2.2.7.20 किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान तथा अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि के 100% है।

<u>(डी) अदत्त ब्याज का `निधिक ब्याज मीयादी ऋण' (एफआइटीएल) ऋण अथवा इक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड</u>

2.2.7.21 <u>आस्ति वर्गीकरण मानदंड</u>

अदत्त ब्याज के परिवर्तन से निर्मित एफआइटीएल/ ऋण अथवा ईक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें पुनर्व्यवस्थित अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में अगला उतार-चढ़ाव भी पुनर्व्यवस्थित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

2.2.7.22 <u>आय-निर्धारण मानदंड</u>

(i) इन लिखतों से प्राप्त आय यदि कोई हो को, इन लिखतों को यदि `मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उपचित आधार पर, और अनर्जक आस्ति के रूप में जिनका वर्गीकरण किया गया है उस मामले में नकद आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(ii) अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करने वाले एफआइटीएल/ ऋण अथवा ईक्विटी लिखत के संबंध में "फुटकर देयता खाता (ब्याज का पूंजीकरण)" शीर्ष वाले खाते में तदनुरूपी जमा होनी चाहिए।

(iii) एफआइटीएल के मामले में चुकौती के बाद अथवा ऋण/ ईक्विटी लिखतों की बिक्री/मोचन से राशि प्राप्त होने के बाद ही, प्राप्त राशि को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाएगा और उसी समय`फुटकर देयताएं खाते (ब्याज का पूंजीकरण)' में शेष को कम किया जाएगा।

<u>(इ) आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवस्था</u>

2.2.7.23 इस संबंध में पैरा 2.2.7.1 से 2.2.7.8 में निर्धारित प्रावधानों में संशोधन के अनुसार महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में लगे हुए उधारकर्ताओं को नीचे पैरा 2.2.7.29 में दी गई कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार उपलब्ध होगा। इस तरह का व्यवहार अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं है:

(i) उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत अग्रिम जिसमें शेयर/ बांड/ डिबेंचर आदि की जमानत पर व्यक्तिगत अग्रिम शामिल है

(ii) व्यापारियों को अग्रिम

2.2.7.24 उपर्युक्त दो श्रेणियों के खातों तथा पैरा 2.2.7.29 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न करने वाले अन्य खातों का आस्ति वर्गीकरण इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 2.2.7.1 से 2.2.7.8 में वर्णित विवेकपूर्ण मानदंडों की परिधि में आएगा।

2.2.7.25 स्थावर संपदा क्षेत्र मे आयी मंदी के कारण 30 जून 2009 तक पुनर्रचना किए गए वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण जोखिम को विशेष विनियमन प्रावधान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैंकों द्वारा दिए गए आवास ऋण की यदि पुनर्रचना की जाती है तो वे विशेष विनियमन प्रावधान के पात्र होंगे।

(एफ) विशेष विनियामक ढांचे के तत्व

2.2.7.26 विशेष विनियामक ढांचे में दो निम्नलिखित घटक हैं:

(i) पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

(ii) पुनर्रचित खाते के आस्ति वर्गीकरण को पुनर्रचना पूर्व आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में ही रखना

2.2.7.27 पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

अग्रिम की पुनर्रचना का आवेदन बैंक के पास लंबित होने की अवधि के दौरान, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होना जारी रहेगा। आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया आवेदन विचाराधीन होने के कारण रुकनी नहीं चाहिए। तथापि, पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में बैंक यदि अनुमोदित पैकेज आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के अंदर कार्यान्वयित करता है तो आस्ति वर्गीकरण की स्थिति बैंक का पुनर्रचना आवेदन प्राप्त होने के समय की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को उस स्तर पर पुनः स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 1 सितंबर 2008 की स्थिति के अनुसार सभी मानक खाते पयुर्रचाना के बाद मानक खाते ही बने रहेंगे बशर्ते पुनर्रचना पैकेज लेने की तिथि से 120 दिनों केअंदर पैकेज कार्यान्वयित किया जाना चाहिए। पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए 120 दिनों का मानदंड 30 जून 2009 के बाद कार्यान्वयित होने वाले सभी पुनर्रचना पैकेजों के संदर्भ में 90 दिनों का होगा।

2.2.7.28 आस्ति वर्गीकरण लाभ

पैरा 2.2.7.1 से 2.2.7.8 में निर्धारित विवेकपूर्ण ढांचे के अनुपालन के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीनः

(i) पैरा 2.2.7.2 के आशोधन में पुनर्रचना के बाद किसी मौजूदा `मानक आस्ति' का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) पैरा 2.2.7.3 के आशोधन में निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने पर निर्दिष्ट अवधि के दौरान अवमानक/ संदिग्ध खातों के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा पुनर्रचना करने पर कम नहीं होगा।

2.2.7.29 तथापि, ये लाभ निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन उपलब्ध होंगे:

i) बैंक को प्राप्य राशियां अनुबंध V में परिभाषित किए गए अनुसार `पूरी तरह रक्षित' हैं। मूर्त जमानत द्वारा पूरी तरह रक्षित होने की शर्त निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगीः

(ए) लघु उद्योग उधारकर्ता जहां ₹ 25 लाख तक की राशि बकाया है।

(बी) बुनियादी सुविधा परियोजनाएं बशर्ते इन परियोजनाओं से अर्जित नकदी प्रवाह अग्रिम की चुकौती के लिए पर्याप्त हैं, वित्तपोषण करने वाले बैंकों के पास नकदी प्रवाहों के निलंबन के लिए उचित प्रणाली स्थापित है और उनके पास इन नकदी प्रवाहों पर प्रथम दावा करने का स्पष्ट तथा कानूनन अधिकार है।

(सी) ऋण की अदायगी मे चूक की स्थिति में बैंक को होनेवाली संभावित हानि प्रतिभूति के मूल्य पर निर्भर करेगी। पुनर्रचित ऋणों के मामले में इस पहलू का महत्व और बढ़ जाता है। तथापि मौजूदा आर्थिक मंदी के कारण आहरण अधिकार से अधिक शेष मूलधन के अनियमित हिस्से के संपरिवर्तन से डब्ल्युसीटीएल पर किया गया संपूर्ण प्रतिभूति कवर प्रतिभूति की कीमतों में गिरावट के कारण उपलब्ध नहीं होगा। इस असामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह विशेष विनियामक व्यवस्था "मानक" तथा "अवमानक खातों" के लिए वहां भी उपलब्ध है जहां डब्ल्युसीटीएल के लिए संपूर्ण प्रतिभूति कवर उपलब्ध नहीं है बशर्ते डब्ल्युसीटीएल के गैर-प्रत्याभूत हिस्से के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हों:

* मानक आस्तियाँ: 20%

* अवमानक अस्तियाँ: पहले वर्ष के दौरान 20% तथा उसके बाद विनिर्दिष्ट अवधि (पुनर्रचना की शर्तों के अंतर्गत पहली चुकौती देय होने के बाद एक वर्ष) तक प्रत्येक वर्ष उसमें 20% की वृद्धि

* यदि विनिर्दिष्ट अवधि के बाद खाता स्तरोन्नयन के लिए पात्र हीं है तो आरक्षित हिस्से के लिए 100% प्रावधान

(ii) यदि वह बुनियादी सुविधा देने वाले कार्य कर रही है तो यूनिट 10 वर्ष की अवधि में अर्थक्षम होती है और अन्य इकाइयों के मामले में 7 वर्ष की अवधि में।

(iii) पुनर्रचित अग्रिम की चुकौती की अवधि जिसमें अधिस्थगन यदि कोई हो, शामिल हैं बुनियादी सुविधाएं अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि 10 वर्ष की अधिकतम सीमा आवास ऋण के मामलां में लागू नहीं है तथा बैंक का निदेशक मंडल अग्रिमों की सुरक्षा तथा सलामती के लिए 15 वर्ष तक की अवधि निर्धारित करें।

(iv) पुनर्रचित आवास ऋण के लिए निर्धारित जोखिम भारिता से 25 प्रतिशत बिंदु अधिक अतिरिक्त जोखिम भारिता निर्धारित करें।

(v) प्रवर्तकों का त्याग तथा उनके द्वारा लायी गई अतिरिक्त निधियां बैंक के त्याग की कम-से-कम 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

(vi) अर्थव्यवस्था तथा उद्योग से संबंधित बाहरी कारणों का यूनिट पर असर पड़ने के मामले को छोड़कर अन्य सभी में प्रवर्तक ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी हो।

(vii) विचाराधीन पुनर्रचना अनुबंध V के पैरा (iv) में परिभाषित किए गए अनुसार `पुनरावृत्त पुनर्रचना' नहीं हैं। तथापि 30 जून 2009 तक की ऋण जोखिम के लिए एक बारगी उपाय के रूप मे बैंक द्वारा की गयी दूसरी पुनर्रचना (वाणिज्य स्थावर संपदा, पूंजी बाजार ऋण, व्यक्तिगत/ उपभोक्ता ऋण तथा विक्रेता को ऋण के अलावा)विशेष विनियामक प्रावधान के लिए पात्र होगी।

(जी) प्रकटीकरण

2.2.7.30 बैंकों को अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्रों में `लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों की संख्या तथा राशि के संबंध में तथा अनुबंध - VI में उल्लिखित पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की मात्रा संबंधी जानकारी भी प्रकट करनी चाहिए। यह जानकारी एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली तथा अन्य श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों के लिए अलग से अपेक्षित होगी।

(एच) उदाहरण

2.2.7.31 पुनर्रचित खातों के आस्ति वर्गीकरण से संबंधित कुछ उदाहरण अनुबंध - VII में दिए गए हैं।

2.2.8 अन्य अग्रिम

(i) मीयादी जमाराशियाँ, अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, इन्दिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और बीमा पॉलिसियों को एनपीए नहीं माना जाना चाहिए भले ही उन पर ब्याज 90 से अधिक दिनों के लिए अदा न किया गया हो, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

(ii) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक उधारकर्ता की आय अर्जन करने और चुकौती करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए गैर - कृषि प्रयोजनों के लिए स्वर्ण ऋण की चुकौती के लिए मासिक/ तिमाही किस्तें तय करें और ऐसे स्वर्ण ऋणों को एनपीए तभी मानें जब मूलधन की किस्त और/ या उस पर ब्याज 90 से अधिक दिनों से बकाया हो।

(iii) कृषि प्रयोजनों के लिए दिए गए स्वर्ण ऋणों के संबंध में ब्याज उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वार्षिक अंतरालों पर लगाया जाना आवश्यक है और भुगतान फसल की कटाई के समय किया जाना चाहिए। तदनुसार ऐसे अग्रिमों को एनपीए तभी माना जाएगा जब मूलधन की किस्त और/ या ब्याज देय तारीख के बाद अतिदेय हटाया गया हो।

2.2.9 एनपीए माने गए निवेश पर आय का निर्धारण

निवेश भी आय-निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं। बैंक किसी भी ऐसी प्रतिभूति के संबंध से भलें ही उसे किसी भी श्रेणी में शामिल किया गया हो, उपचित आधार पर आय दर्ज न करें, जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से अधिक दिनों से बकाया हो।

2.2.10 रिज़र्व बैंक को एनपीए की रिपोर्टिंग

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर वर्ष की समाप्ति से दो माह के अंदर अनुबंध 2 में दिए गए प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को एनपीए के आंकड़े सूचित करें।

3. आस्ति वर्गीकरण

3.1 वर्गीकरण

3.1.1 बैंक अपनी आस्तियों को निम्नलिखित स्थूल समूहों में वर्गीकृत करें;

(i) मानक आस्तियां

(ii) अव-मानक आस्तियां

(iii) संदिग्ध आस्तियां

(iv) हानि आस्तियां

3.2 परिभाषा

3.2.1. **मानक आस्तियां**

मानक आस्ति वह है जो कोई समस्या प्रकट नहीं करती और जो कारोबार से संबध में सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वहन नहीं करती। ऐसी आस्ति अनर्जक परिसंपत्ति नहीं होनी चाहिए।

3.2.2. **अवमानक आस्तियां**

(i) 31 मार्च 2005 से, किसी आस्ति को तब अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि वह 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक आस्ति के रूप में रही हो। इस प्रकार के मामलों में ऋणकर्ता/गारंटीकर्ता की चालू शुध्द आय अथवा रखी गई जमानत का वर्तमान मूल्य बैंकों को देय राशि की वसूली को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में ऐसी आस्तियों में सुपरिभाषित ऋण कमजोरियां निहित होंगी जो ऋणों की वसूली को खतरे में डाल देती हैं और इस बात की सुस्पष्ट संभावना रहती है कि यदि विसंगतियों को ठीक नहीं किया गया तो बैंकों को घाटा उठाना पड़ेगा।

(ii) ऐसी आस्ति को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिससे संबंधित ब्याज मूलघन संबंधी ऋण करार की शर्तों पर उत्पादन शुरू होने के बाद पुन: सौदा वार्ता की गई हो अथवा उन्हें पुनर्निर्धारित किया गया हो, और वह पुन: सौदावार्ता पुनर्निर्धारित शर्तों के कम से कम 12 महीनों तक संतोषजनक कार्यनिष्पादन के लिए अवमानक आस्ति के रूप में रही हो। दूसरे शब्दों में, केवल पुनर्निधारण के परिणामस्वरूप ही आस्ति के वर्गीकरण का तब तक उन्नयन (अपग्रेड) नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस शर्त का संतोषजनक अनुपालन न हो जाए।

3.2.3. **संदिग्ध आस्तियां**

31 मार्च 2005 से किसी आस्ति को संदिग्ध के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब वह 12 माह तक अनर्जक आस्ति रही हो। टियर I बैंकों के लिए किसी अवमानक आस्ति का संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकरण की 12 महीने की अवधि 01 अप्रैल 2009 से लागू होगी। अवमानक आस्तियों के मामले की तरह पुनर्निर्धारण से बैंकों को किसी अग्रिम की गुणवत्ता को अपने आप अपग्रेड करने का हक प्रदान नहीं होता। संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत ऋण में वे सभी कमजोरियां निहित होती हैं जो अवमानक के रूप में वर्गीकृत की गई परिसंपत्तियों में होती हैं। इसके अलावा, इनमें और विशिष्ट बात यह होगी कि वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, शर्तों और मूल्यों के आधार पर ये कमजोरियां संपूर्ण, वसूली को या परिसमापन को अत्यधिक संदेहास्पद और अकल्पनीय बना देती हैं ।

3.2.4 **हानि आस्तियां**

हानि आस्ति वह है जहाँ हानि बैंक द्वारा या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा सहकारिता विभाग द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित की गई हो, परंतु राशि पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से बट्टे खाते न डाली गई हो । दूसरे शब्दों में, ऐसी आस्ति को वसूली न होने योग्य माना जाए और वह इतने कम मूल्य की हो कि बैंक योग्य आस्ति के रूप में उसके बने रहने में कोई औचित्य न हो, भले ही उसमें निस्तारण मूल्य या वसूली मूल्य निहित हो ।

3.3 आस्ति- वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

3.3.1 मूल अवधारणा

(i) मोटे तौर पर कहा जाए, तो उक्त श्रेणी में आस्ति का वर्गीकरण सुपरिभाषित ऋण कमजोरियों की मात्रा और देय राशियों की वसूली के लिए संपार्श्विक जमानत पर किस हद तक निर्भर है, इसे विचार में लेते हुए करना चाहिए।

(ii) ऐसे खातों के मामले में जहाँ जमानत के मूल्य हास के कारण तथा ऋण कर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ियों जैसे अन्य कारकों की मौज़ूदगी की वज़ह से वसूली न होने की संभावना उत्पन्न हो गई हो वहाँ बैंक के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि वे पहले उन्हें अव-मानक के रूप में वर्गीकृत करें और बाद में खातों के अनर्जक बनने की तारीख से 12 माह की समाप्ति पर उन्हें संदिग्ध आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करें। ऐसे खातों को उनके अनर्जक आस्ति बने रहने की अवधि पर विचार किए बिना सीधे ही संदिग्ध अथवा हानिवाली आस्तियों के रूप में, जो भी उचित हो, वर्गीकृत किया जाए।

3.3.2 बीआईएफआर/ मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत प्रदान किए गए अग्रिम

(i) बैंकों को ऐसे किसी भी अग्रिम के वर्गीकरण को जिसके संबंध में शर्तों को सौदा वार्ता द्वारा पुन: तय किया गया है, तब तक अपग्रेड करने की अनुमति नहीं है जब तक कि सौदा वार्ता द्वारा पनु: तय की गई शर्तों का एक वर्ष की अवधि के दौरान संतोषजनक रूप से पालन न किया गया हो। बीआईएफआर/ मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई को मंजूर की गई मौज़ूदा ऋण सुविधाएं जबकि अवमानक या संदिग्ध के रूप में जैसी भी स्थिति हो, वर्गीकृत होती रहेंगी, तथापि, पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत मंजूर की गई अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद लागू होंगे।

(ii) इसी तरह की रियायत उन लघु औद्योगिक इकाइयों के संबंध में लागू होंगी जिन्हें बीमार के रूप में बैंकों द्वारा स्वयं पहचाना गया है और जहां पुनर्वास पैकेज/ नर्सिंग कार्यक्रम बैंकों द्वारा स्वयं या सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

3.3.3 **आस्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की आंतरिक प्रणाली**

(i) बैंक, विशेषत: बड़ी राशिवाले खातों के संबंध में, एनपीए की पहचान करने में विलंब करने या स्थगित करने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए यथोचित आंतरिक प्रणाली स्थापित करें। अपने संबंधित व्यवसाय स्तर के आधार पर यह निश्चित करने के लिए कि उच्च मूल्यवाले खातों में क्या-क्या बातें शामिल होंगी, बैंक न्यूनतम निर्दिष्ट बिन्दु (कट-ऑफ पॉइंट) तय कर सकते हैं। ये निर्दिष्ट बिन्दु संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होंगे ।

(ii) बैंक द्वारा उचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व और मान्यता स्तर निर्धारित किए जाएं ।

(iii) उक्त प्रणाली यह सुनिश्चित करे कि परिसंपत्ति के वर्गीकरण में किसी कारण से कोई संदेह हो तो उसे वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस तारीख को परिसंपत्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया होता उस तारीख से एक माह के अंदर निर्दिष्ट आंतरिक चैनलों के जरिए दूर कर दिया जाता है।

(iv) जिम्मेदारी तय करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न हुई विषमताओं का पता लगाना जारी रखेगा। जहाँ वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जानबूझकर अनुपालन न किया गया हो और उसके दस्तावेजी प्रमाण हों वहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक दंड लगाने के साथ-साथ कड़ी कार्रवाई करेगा ।

4. आय निर्धारण

4.1 आय निर्धारण नीति

4.1.1. आय निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ और वसूली अभिलेख पर आधारित होनी चाहिए। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से प्राप्त आय को उपचित आधार पर नहीं माना जाता है लेकिन उसे आय के रूप में तभी दर्ज किया जाता है जब वह वास्तविक रूप में प्राप्त होती है। अत:बैंक सभी अनर्जक आस्तियों पर ब्याज न लगाएं तथा उनको आय खातों में न लें।

4.1.2. तथापि, मीयादी जमाराशियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों और बीमा पॉलीसियों की जमानतपर दिए अग्रिमों पर ब्याज को नियत तारीख को आय खातों में लें सकते हैं, बशर्ते, खातें में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

4.1.3. बकाया ऋणों की पुन: सौदावार्ता अथवा पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा अर्जित फीस और कमीशन को पुन: सौदा वार्ता द्वारा तय की गई/ पुनर्निर्धारित की गई ऋण विस्तार अवधि के दौरान उपचित आधार पर वसूल किया जाना चाहिए।

4.1.4. यदि सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम `अतिदेय' और उसके द्वारा एनपीए हो जाते हैं, तो ऐसे अग्रिमों पर ब्याज को तब तक आय खाते में नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि ब्याज वसूल न हो जाए।

4.2 एनपीए हो जाने वाले खातों पर आय का प्रत्यावर्तन

4.2.1. किसी वर्ष की समाप्ति पर खरीद और भुनाए गए बिलों सहित यदि कोई, अग्रिम एनपीए हो जाता है, तो पिछले समवर्ती वर्ष में उपचित और आय खाते में जमा की गई ब्याज को यदि उसकी वसूली नहीं होती है, तो प्रत्यावर्ति किया जाना चाहिए या उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। अनुदेश सरकार द्वारा गारंटीकृत खातों पर भी लागू होंगे।

4.2.2. एनपीए के संदर्भ में फीस, कमीशन और उस तरह की आय जो उपचित हो गई है, चालू अवधि में उपचित नहीं होनी चाहिए और उसे गत अवधि के संबंध में, यदि वसूल न हुई हो तो प्रत्यावर्तित कर देना चाहिए

4.2.3. उपस्कर पट्टेदारी करनेवाले बैंकों को विवेकपूर्ण लेखा विधि मानकों का पालन करना चाहिए। पट्टा किराया में दो अवयव शामिल हैं - वित्त प्रभार (अर्थात् ब्याज प्रभार) और आस्ति की लागत की वसूली के प्रति प्रभार। केवल ब्याज घटक को ही आय खातें में लिया जाना चाहिए। आस्ति के एनपीए हो जोन से पहले आय खाते में ली गई ऐसी आय जो वसूली न गई रही हो, को वर्तमान लेखाकरण अवधि में प्रत्यावर्तित कर देना चाहिए या उसके लिए प्रावधान कर लेना चाहिए।

4.3 शेयरों और डिबेंचरों में निवेश पर आय को बही दर्ज करना

4.3.1 यूटीआई की युनिटों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पर आय को बही दर्ज करने के लिए विवेकपूर्ण प्रथा के अनुसार और बैंकों में एकसमान लेखाकरण प्रथा को लाने के उद्देश्य से ऐसी आय को नकदी आधार पर बही दर्ज किया जाना चाहिए न कि उपचित आधार पर।

4.3.2 तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बाँडों, जहां लिखतों पर ब्याज दर पूर्वनिर्धारित होती है, वहाँ आय को उपचित आधार पर बही दर्ज किया जाना चाहिए, बशर्ते ब्याज नियमित रूप से चुकता की जाती हो और बकाया न हो।

4.4 एनपीए की आंशिक वसूली

एनपीए पर वसूली गई ब्याज को आय खाते में लिया जाए, बशर्ते ब्याज के प्रति खातें में दर्ज जमा संबंधित उधारकर्ता को मंजूर की गई नई/ अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में से न हुई हों।

4.5 ब्याज लगाना

4.5.1. एनपीए के मामले में जहां ब्याज 90 दिनों या उससे अधिक दिनों तक प्राप्त नहीं हुई हो, वहां विवेकपूर्ण मानदंड के रूप में, अनुवर्ती तिमाहियों में उपचित ब्याज की राशि को उक्त खाते में नामे दर्ज करने और उपचित ब्याज की राशि को बैंक की आय के रुप में लेने का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उक्त ब्याज प्राप्त नहीं हुई है। एक साथ यह वांछनीय है कि ऐसी उपचित ब्याज को अलग से दर्शाया जाए या एक अलग खाते में रखा जाए ताकि ऐसे एनपीए खातों पर प्राप्य ब्याज को अभिकलित किया जाए और ऐसे ही दर्शाया जाए, भले ही उसे उक्त अवधि के लिए बैंक की आय के रूप में हिसाब में न लिया गया हो।

4.5.2. अर्जक आस्तियों के संबंध में उपचित ब्याज को आय खाते में लिया जाना चाहिए क्योंकि ब्याज के प्राप्त हो जाने की काफी प्रत्याशा होती है। तथापि, यदि किसी कारणवश इन मामलों में ब्याज वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं होता है और दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे उत्तरवर्ती वर्ष के अंत में एनपीए मान लिया जाता है तो आय में तत्संबंधी वर्ष में इस तरह ली गई ब्याज की राशि को प्रत्यावर्तित कर देना चाहिए या उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।

4.5.3. अर्जक तथा अनर्जक दोनों प्रकार की आस्तियों के संबंध में उपचित ब्याज को हिसाब में लेने में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के मौजूदा उपबंधों के बावजूद निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपनाए जाएं :

(i) अनर्जक अग्रिमों के संबंध में उपचित ब्याज उधार खातों में नामे नहीं किया जाना चाहिए लेकिन उन्हें तुलन पत्र के `संपत्ति तथा आस्ति' पक्ष में "ब्याज प्राप्त खाते " के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए तथा तत्संबंधी राशि को तुलन पत्र के "पूंजी तथा देयताएं" पक्ष में "अतिदेय ब्याज आरक्षित खाता" के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

(ii) उधार खातों के संबंध में उन्हें अर्जक आस्तियों के रूप में लिया जाता है, उपचित ब्याज को वैकल्पिक रूप से उधार खाते में नामे किया जा सकता है तथा उन्हें ब्याज खाते में जमा दर्ज किया जा सकता है और उन्हें आय खातें में लिया जा सकता है। यदि उधार खाता के संबंध में उपचित ब्याज की वास्तव में वसूली नहीं हुई हो और खाता उत्तरवर्ती वर्ष के अंत में एनपीए हो गया हो तो तत्संबंधी वर्ष में उपचित तथा आय खाते में लिया गया ब्याज प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए या उसका पूरा प्रावधान किया जाना चांहिए।

(iii) अर्जक तथा अनर्जक दोनों प्रकार के अग्रिमों पर उपचित ब्याज के संबंध में की जाने वाली व्याख्यात्मक लेखाकरण प्रविष्टियाँ अनुबंध 3 में दर्शाई गई हैं।

4.5.4. उपर्युक्त के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाए कि अतिदेय ब्याज निधि वास्तविक या बैंक से अर्जित आय से सृजित नहीं की गई है और इस प्रकार अतिदेय ब्याज निधि खाते में धारित राशि को बैंकों की `प्रारक्षित निधि' या स्वाधिकृत निधियों के एक भाग के रूप में नहीं माना जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित तुलन पत्र में बैंकों से इस बात की विशेष रूप से अपेक्षा की जाएगी कि वे `पूँजी तथा देयताओं' पक्ष की मद 8 के अनुसार उस पक्ष पर `अतिदेय ब्याज निधि' को एक विशेष मद के रूप में दर्शाएं।

5. प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड

5.1 ऋण तथा अग्रिमों पर प्रावधानीकरण हेतु मानदंड

5.1.1 विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक अस्तियों पर प्रावधान उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में दिए गए ब्योरे के अनुसार निर्धारित श्रेणियों में आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए।

5.1.2 किसी खाते के वसूली के हिसाब से संदिग्ध होने, इस रूप में उसकी पहचान होने, प्रतिभूति के नकदीकरण के बीच के समय तथा बैंक को प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में इस बीच हुए हास को ध्यान में रखते हुए बैंकों को नीचे दिए गए अनुसार हानि आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों तथा अवमानक आस्तियों के लिए प्रावधान करना चाहिए :

(i) **हानिवाली आस्तियाँ**

(ए) सक्षम प्रधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद तथा सहकारी सोसायटियाँ अधिनियम/नियमों उपबंधों के अनुसार संपूर्ण आस्तियों को बट्टे खाते डाल देना चाहिए। यदि किसी कारण से आस्तियों को बहियों में रखे जाने की अनुमति हो तो शत प्रतिशत बकाया के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

(बी) हानि आस्ति के रूप में पहचान की गई किसी आस्ति के संबंध में यदि प्रतिभूति के संभावित विस्तारण मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया गया है तो शत प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए।

(ii) **संदिग्ध आस्तियाँ**

(ए) जिस सीमा तक बैंक के पास प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के भीतर दिया गया अग्रिम कवर नहीं होता है उतने अग्रिम का शत प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए तथा वसूली योग्य मूल्य का आकलन वास्तविक आधार पर किया जाना चाहिए है।

(बी) **जमानती हिस्से** के संबंध में प्रावधान जमानती हिस्से के 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की दरों पर निम्नलिखित आधार पर किया जाए जो उस अवधि पर आधारित होगा जिसके लिए आंिस्त संदिग्ध रही है :

टियर I एवं II बैंक

अवधि जिस दौरान अग्रिम "संदिग्ध" श्रेणी में रहा है	प्रावधान संबंधी आवश्यकता
एक वर्ष तक	20 प्रतिशत
एक से तीन वर्ष	30 प्रतिशत
1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद तीन वर्षों (डी-III) से अधिक समय के लिए "संदिग्ध" के रूप में वर्गीकृत अग्रिम	100 प्रतिशत

(iii) **अवमानक आस्तियां**

कुल बकाया पर 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान ईसीजीसी गारंटी कवर और उपलब्ध प्रतिभूतियों को हिसाब में लिए बिना किया जाना चाहिए।

(iv) **मानक आस्तियों पर प्रावधान**

(ए) 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष से बैंक मानक आस्तियों पर न्यूनतम 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करें।

(बी) तथापि, 6 मई 2009 के परिपत्र में परिभाषित किए गए अनुसार टियर II बैंकों पर मानक अस्तियों पर निम्नलिखित प्रकार से उच्चतर प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड लागू किए जाएंगे:

सभी प्रकार की "मानक आस्तियों" के लिए सामान्य प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा 0.40 प्रतिशत होगा। तथापि, कृषि तथा एसएमई क्षेत्रो को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिम के लिए संविभाग आधार पर निधिकृत बकाए के 0.25 प्रतिशत का एकसमान प्रवाधानीकरण करना होगा।

इसके अलावा 8 दिसंबर 2009 से (टियर I और टियर II दोनों) सीआरई क्षेत्र को दिये गये ऐसे अग्रिमों के संबंध में 1.00 प्रतिशत की प्रावधानीकरण करे, जिन्हें 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सभी संवर्गों की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा नीचे संक्षेप में दी गयी है :

क्र.सं.	मानक आस्ति का संवर्ग	प्रावधानीकरण की दर	
		टियर I I	टियर I
(क)	कृषि और एसएमई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25 %	0.25 %

(ख)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र	1.00 %	1.00 %
(ग)	अन्य सभी ऋण और अग्रिम जिन्हं उपर्युक्त (क) और (ख) में शामिल नहीं किया गया है।	0.40 %	0.25%

(सी) "मानक आस्तियों" के प्रति किए गए प्रावधान का निर्धारण सकल अग्रिमों से नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे तुलन पत्र में अन्य निधियां और रिजर्व "के अंतर्गत (पूंजी और देयता के अंतर्गत मद 2(viii)" मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान के रूप में अलग दर्शाया जाना चाहिए।

(डी) बैंकों द्वारा रखे जानेवाले प्रावधान की विनियामक अपेक्षाओं में परिवर्तन के कारण बैंक द्वारा किया गया प्रावधान अपेक्षा से अधिक होने पर, ऐसे अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावतिर्तत नहीं करना चाहिए। भविष्य में संशोधित प्रावधान मानदंडों के कारण मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान से अधिक प्रावधान अपेक्षित हो तो इस प्रावधान का उपयोग किया जाए।

(इ) यदि बैंक ने पहले ही अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों/रिज़र्व बैंक के निरीक्षण द्वारा अपेक्षित/ निर्धारित से अधिक प्रावधान किया है तो मानक आस्तियों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान को अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण रिज़र्व से अलग करके उसे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से "मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान" के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। इस संबंध में यदि कोई कमी हो तो उसे सामान्यतया पूरा कर लेना चाहिए।

(एफ) उक्त आकस्मिक प्रावधान टियर II की पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र होगी।

(v) **अधिक प्रावधान**

बैंक यदि स्वयं निर्दिष्ट सीमा से अधिक अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण रिज़र्व निर्माण करते है या इसे संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमों में शामिल करते हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

5.2 सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधानीकरण

प्रथामिक (शहरी) सहकारी बैंकों में अपने स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं हो सकती है जैसे कि भविष्य निर्वाह निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन। यह जरुरी है कि ऐसी देयताओं का वास्तविक आधार पर आकलन किया जाए और अपने लाभ हानि लेखा में इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष प्रावधान किया जाए।

तथापि, उपदान सीमा में बढ़ोतरी होने तथा उपदान राशि का भुगतान अधिनियम 1972 में संशोधन के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित कार्रवाई करे:

(ए) उपदान राशि सीमा में बढ़ोत्ततरी के कारण हुआ व्यय यदि वित्तीय वर्ष 2010-11 में लाभ हानि लेखे में पूर्णत नही लिया गया हो तो 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष से शुरू करते हुए पांच वर्षो में उसे आस्थगित करे बशर्ते प्रत्येक वर्ष कम से कम 1/5 राशि लाभ हानि लेखे में ली जानी चाहिए।

(बी) इस प्रकार उपदान में बढ़ोतरी के कारण किया गया व्यय का आस्थगन, सेवानिवृत्त/ अलग हुए कर्मचारियों को देय राशि के लिए अनुमत नही है।

(सी) आस्थागित व्यय को वार्षिक वित्तीय विवरण में उचित रूप से घोषित करना चाहिए।

(डी) घटना के असामान्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आस्थागित व्यय शहरी सहकारी बैंकों की टियर- I पूंजी से घटाया नहीं जाएगा।

5.3 प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियां बेचने के लिए प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड

(ए) यदि एससी/आरसी को किया गया बेचान निवलबही मूल्य (एनबीवी) से कम हो (अर्थात् बही मूल्य घटा किया गया प्रावधान) तो उस कमी को, ऋणों को बट्टाखाता डालने के संबंध में सहकारी सोसायटी अधिनियमों/ नियमों/ प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अधीन, बट्टे खाते डाल देना चाहिए या उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा में नामे दर्ज करना चाहिए।

(बी) यदि बेचान निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक हो तो किए गए अधिक प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा बल्कि उसका उपयोग (एसी/आरसी को अन्य आस्तियों के बेचान में हुई कमी/ हानि को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

5.4 विशिष्ट मामलों में प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश

(i) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम

यदि बैंक को देय ब्याज तथा/ या मूलधन या अन्य राशि 90 दिनों से अधिक काल के लिए अतिदेय होने पर गारंटी आव्हानित है कि नहीं इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना 31 मार्च 2006 से राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंड लागू होंगे।

(ii) **बीआइएफआर/मीयादी उधारदात्री संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेजों के अंतर्गत प्रदत्त अग्रिम**

(ए) बीआई एफआर/मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई को स्वीकृत मौजूदा ऋण सुविधाएं अव-मानक या संदिग्ध आस्ति के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, वर्गीकृत होती रहेंगी।

(बी) तथापि, बीआईएफआर/मीयादी ऋणदायी संस्थाओं द्वारा अंतिम रूप दिए गए पैकेज के अनुसार मंज़ूर अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद लागू होंगे।

(सी) उन एसएसआई इकाइयों को प्रदत्त अतिरिक्ति ऋण सुविधाओं के संबंध में जिन्हें बीमार इाकाई के रूप में पहचाना गया है और जहाँ बैंकों ने स्वयं या सहायता संघ व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुनर्वास पैकेज/ नर्सिंग कार्यक्रम तैयार किए हैं, वहाँ एक साल के लिए कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं है।

(iii) सावधि/ मीयादी जमाराशि, अभ्यर्पण के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और बीमा पालिसियों की जमानत पर दिए गए अग्रिमों को प्रावधान की अपेक्षाओं से छूट दी गई है।

(iv) स्वर्ण आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और सभी अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों को प्रावधानीकरण की आवश्यकता से छूट नही है।

(v) **इसीजीसी गारंटी द्वारा संरक्षित अग्रिम**

(ए) ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में प्रावधान इन निगमों द्वारा गारंटीकृत राशि से ऊपर की शेष राशि पर ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संदिग्ध आस्तियों के लिए किए जाने वाले प्रावधान का पता लगाने के लिए जमानतों के वसूली योग्य मूल्य को पहले इन निगमों द्वारा गारंटीकृत राशि के संबंध में बकाया शेष में से घटाया जाए और फिर प्रावधान किया जाए जैसा कि नीचे बताया गया है।

उदाहरण

बकाया शेष	₹ 4 लाख
ईसीजीसी संरक्षण	50 प्रतिशत
अवधि जिसके लिए अग्रिम संदिग्ध रहा है	3 वर्ष से अधिक
धारित जमानत का मूल्य (उधारकर्ता/ गारंटर की संपत्ति को छोड़कर	₹1.50 लाख

किया जानेवाला प्रावधान

बकाया शेष	₹ 4.00 लाख
घटाएं : धारित जमानत का मूल्य	₹ 1.50 लाख
न वसूली गई शेष राशि	₹. 2.50 लाख
घटाएं : ईसीजीसी संरक्षण (न वसूलने योग्य शेष का 50%)	₹. 1.25 लाख
निवल गैर जमानती शेष	₹1.25 लाख
अग्रिम के गैर जमानती अंश के लिए प्रावधान	₹1.25 लाख (गैर जमानती अंश का 100%)
अग्रिम के गैर-जमानती अंश के लिए प्रावधान (31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार)	₹ 0.90लाख (₹1.50 लाख के गैर जमानती अंश का 60 प्रतिशत)
किया जानेवाला कुल प्रावधान	₹ 2.15 लाख (31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार)

(बी) बैंक ऊपर दी गई प्रणाली की तुलना में यदि ईसीजीसी की गारंटियों द्वारा संरक्षित अग्रिमों के संबंध में प्रावधानीकरण की अति कठोर प्रणाली अपना रहे हैं, तो उसी प्रणाली को अपनाने का विकल्प उनके लिए खुला है।

6. आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में भिन्नता

(i) बैंक ऋण अनर्जक की पहचान संबंधी अनुदेशों का हुबहु अनुपालन सुनिश्चित करें और संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर गंभीर कार्रवाई करें।

(ii) बैंक विशेषत: उच्च मूल्यवालों खातों के संबंध में एनपीए की पहचान करने में विलंब या स्थगन आदि को दूर करने के लिए उचति आंतरिक प्रणाली स्थापित करें। बैंक उनके संबंधित स्तर के आधार पर यह तय करने के लिए कि

उच्च मूल्य वाले खाते में क्या क्या बातें शामिल होंगी, न्यूनतम आधार बिंदु निश्चित करें। ये आधार बिंदु सपूर्ण वर्ष के लिए मान्य होंगे।

(iii) यथोचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए बैंक जिम्मेदारी और मान्यता स्तर निश्चित करें।

(iv) जहां वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अनुपालन नहीं किया जा रहा है और उसके दस्तावेजी प्रमाण भी उपलब्ध हैं, वहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक दंड के साथ साथ कठोर कार्रवाई भी करेगा।

7. बार-बार पूछे जानेवाले कतिपय प्रश्नों का स्पष्टीकरण अनुबंध 4 में दिया गया है।

अनुबंध 1

कृषि प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष वित्त

देखें पैरा 2.1.2 (iv)

1.1 किसानों को कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों (डेरी उद्योग, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन आदि) के लिए वित्त

1.1.1 फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण अर्थात् फसल ऋण। इसमें पारंपरिक/ गैर-पारंपरिक बागान एवं उद्यान शामिल होंगे।

1.1.2 12 माह की अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी/ दृष्टिबंधक रखकर ₹ 10 लाख तक के अग्रिम, चाहे किसानों को फसल उगाने के लिए फसल ऋण दिए गए हों या नहीं।

1.1.3 कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित उत्पादन और निवेश आवश्यकताओं हेतु वित्त पोषण के लिए कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण।

1.1.4 कृषि प्रयोजन हेतु जमीन खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण।

1.1.5 आपदाग्रस्त किसानों को गैर संस्थागत उधारदाताओं से लिए गए ऋण चुकाने के लिए उचित संपार्श्विक पर ऋण।

1.1.6 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद किए गए कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निराई (वीडिंग), फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), छंटाई, प्रसंस्करण तथा परिवहन के लिए ऋण।

1.2 अन्य (जैसे कंपनियां, भागीदारी फर्मों तथा संस्थानों) को कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों (डेरी उद्योग, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन आदि) के लिए ऋण

1.2.1 फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद किए गए कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निराई (वीडिंग), फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), छंटाई तथा परिवहन के लिए ऋण।

1.2.2 उपर्युक्त 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 और1.2.1 में सूचीबद्ध प्रयोजनों के लिए प्रति उधारकर्ता को एक करोड़ रुपए की कुल राशि तक वित्त पोषण।

1.2.3 कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए प्रति उधारकर्ता को एक करोड़ रुपए की कुल राशि से एक-तिहाई अधिक ऋण।

अनुबंध 2
(देखें पैरा 2.2.10)

प्रोफार्मा

बैंक का नाम :
संवर्ग टियर I/ टियर II:
आस्ति वर्गीकरण और 31 मार्च _______ की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान

(लाख रुपये में)

आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या	बकाया राशि	कुल बकाया ऋण में स्तंभ 3 का प्रतिशत	किया जानेवाला प्रावधान		वर्ष के आरंभ में मौजूदा प्रावधान	रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	वर्ष के अंत में कुल प्रावधान	टिप्पणी
				%	राशि				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
कुल ऋण और अग्रिम									
उसमें से									
ए. मानक आस्तियां									
बी. अनर्जक आस्तियां (1) अवमानक (2) संदिग्ध									
(i) 1 वर्ष तक									
(ए) जमानती									
(बी)गैरजमानती									
(ii) 1 वर्ष से ऊपर और 3 वर्ष तक									
(ए) जमानती									
(बी)गैरजमानती									

(iii) 3 वर्ष से ऊपर जमानती									
(ए)31 मार्च ... को एनपीए का बकाया स्टॉक (बी) 01 अप्रैल ... को या उसके बाद 3 वर्ष से अधिक संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत अग्रिम									
(बी)गैरजमानती									
कुल संदिग्ध आस्तियां (i + ii + iii)									
ए) जमानती									
बी)गैर जमानती									
3)हानि आस्तिया									
सकल एनपीए (बी1 + बी2 + बी3)									

टिप्पणी : कृपया उल्लेख करें कि वर्तमान वर्ष के लाभ में से प्रावधान (मद 8) किस प्रकार किया गया/ किया जाना प्रस्तावित है।

निवल अग्रिम/ निवल एनपीए की स्थिति

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1.	सकल अग्रिम		
2.	सकल एनपीए		
3.	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत		
4.	कटौतियां		
	- ब्याज उचंत लेखा/ ओआईआर में शेष *		
	- डीआईसीजीसी/ ईसीजीसी से प्राप्त दावे जिन्हें समायोजन तक लंबित रखा गया		
	- एनपीए खातों का प्राप्त आंशिक भुगतान जिसे उचंत खाते में रखा गया		
	कुल कटौतियां		
5.	- धारित कुल एनपीए प्रावधान (विनियोग के बाद बीडीडीआर विशेष बीडीडीआर)		
6.	निवल अग्रिम (1-4-5)		
7.	निवल एनपीए (2-4-5)		
8.	निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए		

* अर्थात् एनपीए खातों पर उपचित ब्याज यदि ऋणों और अग्रिमों में (पूंजीकृत) शामिल किया गया हो।

प्रमाणित किया जाता है कि अनर्जक आस्तियों का पता भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार लगाया गया है और तदनुसार प्रावधान किया गया है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी | सांविधिक लेखापरीक्षक

अनुबंध 3

देखें पैरा 4.5.3 (iii)

अर्जक और अनर्जक दोनों प्रकार के अग्रिमों पर उपचित ब्याज के संबंध में पारित की जानेवाली उदाहरणात्मक लेखा प्रविष्टियां

1. अर्जक आस्तियों पर उपचित ब्याज

(i) मास्टर परिपत्र के पैरा 4.5.2 और 4.5.3 (ii) में यह स्पष्ट किया गया है कि अर्जक अग्रिमों पर उपचित ब्याज उधारखातों पर प्रभारित करते हुए आय खाते में लिया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि किसी `क' उधारकर्ता के अर्जक अग्रिम के संबंध में उपचित ब्याज 10,000/- (नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण खाता आदि) रूपये है तो लेखा बहियों में निम्नानुसार प्रविष्टियां पारित की जाएंगी।

(नामे) बॉरोवर्स आकाउंट (सीसी, ओडी ऋण)	₹ 10,000.00
(जमा) इंटरेस्ट अकाउंट	₹ 10,000.00

(ii) उधारखाते के संबंध में उपचित 10,000/- रूपये की ब्याज की राशि यदि उसी लेखावर्ष के अंत में वास्तव में वसूल नहीं होती है और खाता उत्तरवर्ती वर्ष के अंत में एनपीए हो जाता है तो तत्संबंधी गत वर्ष में उपचित ब्याज तथा आय खाते जमा ब्याज की राशि प्रत्यावर्तित कर देनी चाहिए या उसका प्रावधान किया जाना चाहिए बशर्ते उसे निम्नानुसार प्रविष्टियां पारित करके वसूल नहीं किया गया हो :

(नामे) पीएॅण्डएल अकाउंट	₹ 10,000.00
(जमा) ओवरड्यु इंटरेस्ट रिज़र्व अकाउंट	₹ 10,000.00

(iii) यदि उपचित ब्याज बाद में वसूल हो जाता है, तो निम्नानुसार प्रविष्टियां पारित की जाएंगी

(नामे) नकद/बैंक अकाउंट	₹ 10,000.00
(जमा) उधारकर्ता का अकाउंट (सीसी, ओडी, ऋण))	₹ 10,000.00
(नामे) ओवरड्यु इंटरेस्ट रिज़र्व अकाउंट	₹ 10,000.00
(जमा) ब्याज अकाउंट	₹ 10,000.00

II. **अनर्जक आस्तियों पर उपचित ब्याज** :

अनर्जक अस्तियों पर उपचित ब्याज को "इंटरेस्ट रिसिवेबल अकाउंट" में नामे और उतनी ही राशि `ओवरड्यु इंटरेस्ट रिज़र्व अकाउंट' में जमा दर्ज की जाएगी।

उदाहरण के लिए, यदि किसी उधारकर्ता `ख' के नकदी ऋण/ ओडी/ऋण आदि खाते के संबंध में उपचित ब्याज 20,000/- रूपये है, तो लेखा प्रविष्टियां निम्नानुसार पारित की जाएंगी :

(i) (नामे) इंटरेस्ट रिसिवेबल अकांउट	₹ 20,000.00
(जमा) ओवरडयु इंटरेस्ट रिज़र्व अकाउंट	₹ 20,000.00

(iii) बाद में, यदि ब्याज वास्तविक रूप में प्राप्त हो जाता है, तो प्रविष्टियां निम्नानुसार पारित की जाएंगी :

(नामे) नकदी/बैंक अकाउंट	₹ 20,000.00
(जमा) इंटरेस्ट अकाउंट	₹ 20,000.00
(नामे) ओवरड्यु इंटरेस्ट रिज़र्व अकाउंट	₹ 20,000.00
(जमा) इंटरेस्ट रिसिवेबल अकाउंट	₹ 20,000.00

III. ऋण बहियों और तुलन पत्र में अतिदेय ब्याज का लेखाकरण

(i) प्रत्येक अनर्जक उधार खाते के संबंध में प्राप्त ब्याज की राशि निकालने को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के अलग-अलग बही खातें में एक अलग स्तंभ खोल सकते हैं और प्राप्य बयाज को उसमें दिखा सकते हैं। इससे बैंक किसी भी समय उधारकर्ताओं से वास्तव में वसूली जाने वाली ब्याज की राशि का पता लगा सकते हैं। ऋण बहियो में अलग स्तंभ में दर्शाई गई राशि अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्राप्त ब्याज की राशि होगी और तुलनपत्र में वह `ओवरड्यु इंटरेस्ट रिज़र्व' के रूप में अपनी समकक्षी देयताओं वाली मद के साथ आस्तिवाले पक्ष में प्रदर्शित होगी।

(ii) उसी प्रकार अर्जक अग्रिमों के संबंध में भी ऋण बही में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को आय खाते में लिए गए उपचित ब्याज को दिखाने के लिए एक अलग स्तंभ जोड़ जाना चाहिए ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। यदि उपचित ब्याज की वसूली नहीं की गई हो तथा खाता तत्संबंधी वर्ष में एनपीए हो गया हो तो उस राशि को प्रत्यावर्तित कर देना चाहिए या उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

****

अनुबंध 4

(अक्सर पुछे जानेवाले कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण पैरा)

(पैरा 7 देखें)

1. प्रश्न: स्टॉक विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत न किये जाने पर क्या कार्यशील पूंजी खाता अनर्जक खातों बन जायेगा? कितनी अवधि तक स्टॉक विवरण बकाया रहने पर खाते को अनर्जक खाता माना जायेगा।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खाते में किये गये आहरणों के लिए पर्याप्त चालू आस्तियां रखी गयी हों, क्योंकि संकट के समय पहले चालू आस्तियों का विनियोजन किया जाता है। बड़े ऋणकर्ताओं की व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए आहरणाधिकार निश्चित करने के लिए बैंक जिन स्टॉक विवरणों पर निर्भर रहते है वे तीन माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। तीन माह से अधिक पुराने स्टॉक विवरणों से परिकलित आहरणाधिकार पर आधारित खाते की बकाया राशियों को अनियमित माना जायेगा। यदि ऐसे अनियमित आहरणों की अनुमति खाते में 90 दिन (31 मार्च 2004 से) की लगातार अवधि के लिए दी जाये तो कार्यशील पूंजी ऋण खात अनर्जक हो जायेगा, भले ही यूनिट कार्य कर रही हो अथवा ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

2. प्रश्न: क्या नियमित/ तदर्थ ऋण सीमाओं की नियत समय पर पुनरीक्षा/ उनका नवीकरण न किये जाने पर खाता अनर्जक बन जायेगा? किसी खाते की वर्तमान स्थिति के बारे में निर्णय लेने के लिए पुनरिक्षा/ नवीकरण की आवधिकता क्या होनी चाहिए ?

नियत तारीख/ तदर्थ स्वीकृति की तारीख से तीन महीने तक नियमित और तदर्थ ऋण सीमाओं की पुनरीक्षा कर ली जानी चाहिए/ उन्हें नियमित कर लिया जाना चाहिए। ऋणकर्ताओं से वित्तीय विवरण और अन्य आंकड़े उपलब्ध न होने जैसे अवरोधों की स्थिति में शाखा को इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए ऋणकर्ताओं से वित्तीय विवरण और अन्य आंकड़े उपलब्ध न होने जैसे अवरोधों की स्थिति में शाखा को इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि ऋण सीमाओं का नवीकरण/ उसकी समीक्षा पहले से चल रही है और वह शीघ्र पूरी हो जायेगी। किसी भी स्थिति में, एक सामान्य अनुशासन के रुप में छ: माह से अधिक की देरी को वांछनीय नहीं माना जाता। अत: नियत तारीख/ तदर्थ स्वीकृति की तारीख से 180 दिन में जिन खातों में नियमित/ तदर्थ ऋण सीमाओं की पुनरीक्षा/ उनका नवीकरण न कर लिया गया हो उन्हें अनर्जक माना जायेगा। जिसकी अवधि 31 मार्च 2004 से 90 दिन होगी।

3. तुलनपत्र की तारीख के निकट खातों को नियमित करना

यदि ऋण खाता वर्ष में अधिकांश समय तक अनियमित रहा हो, पर उसे तुलनपत्र की तारीख के आसपास नियमित कर लिया गया हो तो क्या उस ऋण खाते को `मानक ' मानना उचित होगा ?

जिन ऋण खातों में तुलनपत्र की तारीख से पूर्व एक-दो बार राशियां जमा की गयी हों, उनका आस्ति वर्गीकरण सावधानीपूर्वक और व्यक्तिनिंष्ठता की गुंजाइश के बिना किया जाना चाहिए। जहां तुलनपत्र की तारीख से पूर्व अथवा उसके बाद खाता संतोषजनक रूप से परिचालित न हुआ हो तथा खाता उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अंतर्निहित कमजोरियों का संकेत दे रहा हो, वहां खाते को अनर्जक माना जाना चाहिए। अन्य वास्तविक मामलों में, बैंकों को उनके कार्यनिष्पादन की स्थिति के बारे में संदेह को समाप्त करने के लिए खाते को नियमित करने के ढंग के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों/ निरीक्षण अधिकारियों के समक्ष संतोषजनक साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

4. ऐसी अवस्था में अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण जब उनकी वसूली में संदेह हो अनर्जक आस्तियों के वर्गीरकण से संबंधित अनुदेशों का संदिग्ध या हानि आस्ति के रूप में तुरंत किस प्रकार निर्वचन किया जाना चाहिए तथा `महत्वपूर्ण ऋण हानि' किसे माना जा सकता है।

वर्गीकरण की विभिन्न श्रेणियों से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी आस्तियों को तत्काल संदिग्ध/ हानि - आस्ति के रुप में जैसा भी उचति हो, वर्गीकृत किया जाना चाहिए। प्रतिभूति के मूल्य में मूल्यहास को तब महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य पिछले निरीक्षण के समय बैंक द्वारा निर्धारित या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत मूल्य के, भी स्थिति को, 50 प्रतिशत से कम हो। ऐसी अनर्जक आस्तियों को तत्काल संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और संदिग्ध आस्तियों के लिए लागू प्रावधान किया जाना चाहिए।

5. सहायता - संघ के अंतर्गत ऋण सुविधाओं का वर्गीकरण

संघीय व्यवस्था के खातों के कतिपय मामलों में किसी सदस्य बैंक के खाते में वसूली के अभिलेख से यद्यपि यह प्रकट होता है कि वह एक अनर्जक खाता है, परंतु कई बार बैंक यह दिखाते हैं कि उधारकर्ता ने सहायता संघ के अग्रणी/ संघ के सदस्य के पास पर्याप्त निधियां जमा कर दी हैं और उक्त बैंक का हिस्सा प्राप्त होना है। ऐसे मामलों में क्या उक्त सदस्य बैंक द्वारा खाते को अपनी बहियों में `मानक' खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाना उचित होगा ?

उत्तर : संघीय व्यवस्था के अंतर्गत खातों का अस्ति - वर्गीकरण अलग - अलग सदस्य बैंकों की वसूली के अभिलेख और अग्रिमों की वसूली की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। जब संघीय ऋण - व्यवस्था के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा प्रेषित निधियां एक बैंक के पास एकत्र की जाती हैं और/ या प्रेषित निधियां प्राप्त करने वाला बैंक जब अन्य सदस्य बैंकों का हिस्सा नहीं देता है तो अन्य सदस्य बैंकों की बहियों में उक्त खाते में `अप्राप्ति' मानी जायेगी और इस प्रकार उक्त खाता अनर्जक आस्ति माना जायेगा। इसलिए संघीय ऋण - व्यवस्था में भाग लेने वाले बैंकों को संबंधित लेखा बहियों में समुचित आस्ति - वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए वसूली का अपना हिस्सा अग्रणी बैंक से अंतरित कराने की व्यवस्था करनी चाहिए या इसके लिए अग्रणी बैंक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

6. वसूल राशियों का विनियोग

अनर्जक आस्ति खातों में वसूल राशियों के विनियोग के संबंध में बैंकों द्वारा अपनायी जाने वाली पध्दति क्या है ?

इस प्रयोजनार्थ बैंक और उधारकर्ता के मध्य सुस्पष्ट करार न होने की स्थिति में बैंक कोई लेखांकन सिध्दांत अपना सकते हैं और एकसमान तथा सुसंगत पध्दति से वसूल राशियों के विनियोग के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

7. कृषि से सहबद्ध कार्यकलाप

हमारे मौजूदा दिशा-निर्देशों में यह निर्धारण है कि कृषि प्रयोजनों के लिए दिए गए अग्रिम तब एनपीए माने जाएंगे जब ब्याज और/ या मूलधन की किस्त दों फसली मौसमों के लिए लेकिन दो अर्ध वर्षों से अनधिक अवधि के लिए अदत्त रह गई हो। क्या उन्हीं मानदंडों को पुष्पोत्पादन (फ्लोरिकल्चर) तथा कृषि सहबद्ध अन्य कार्यकलापों, जैसे मुर्गीपालन, पशुपालन आदि पर लागू किया जा सकता है।

जैसे कि पैरा 2.1.3 में कहा गया है, प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों को (अनुबंध I में सूचीबध्द) को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने संबंधी मानदंडों को 30 सितंबर 2004 से आशोधित किया गया है।

8. अन्य ऋण सुविधाओं में अतिदेय

कुछ ऐसे उदाहरण है जहां बैंक सुपुर्द किये गये साखपत्रों और लागू की गयी गारंटियों के संबंध में किसी उधारकर्ता ये प्राप्त राशियो की ऋण सुविधाएं नियमित है या नहीं, एक अलग खाते में रख देते हैं। यह कैसे निश्चित किया जाये कि वह खाता जिसमें ऐसी प्राप्य राशियां रखी गयी है, अनर्जक आस्ति हो गया है ?

कुछ बैंक सुपुर्द किये गये साखपत्रों ओर लागू की गयी गारंटियों के संबंध में उधारकर्ता से प्राप्य राशियों को एक अलग खाते में रखने की प्रथा अपनाते हैं, जो कि मंज़ूर की गयी नियमित सुविधा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ये राशियां उधारकर्ता के प्रमुख परिचालनशील खाते में परिलक्षित नहीं होती हैं। इससे अनर्जक आस्तियों की पहचान हेतु विवेकसम्मत मानदंड लागू करना मुश्किल हो जाता है। अत: यह सूचित किया जाता है कि साखपत्र के अभिदान या लागू की गयी गारंटियों के कारण हुई नामे राशियों को यदि किसी अलग खाते में रखा जाये तो आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विवेकसम्मत मानदंड लागू करने के प्रयोजनार्थ उक्त खाते में बकाया शेष राशि को उधारकर्ता के प्रमुख परिचालनगत खाते का एक हिस्सा माना जाना चाहिए।

9. हानि वाली आस्तियों का निरूपण

किसी अनर्जक आस्ति को केवल तभी हानि वाली आस्ति माना जायेगा, जब उक्त खाते के लिए कोई जमानत नहीं हो या जब उस खाते में जमानत के वसूली योग्य मूल्य में पर्याप्त मूल्यहास हो गया हो। हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने वाले खाते के लिए `पर्याप्त' मूल्यहास किसे कहा जा सकता है ?

यदि बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/ रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारण के अनुसार उस जमानत का वसूली योग्य मूल्य उक्त उधार खातें में बकाया राशियों के 10 प्रतिशत से कम हो, तो जमानत के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और आस्ति को तुरंत हानि - आस्ति के रूप के वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सहकारी सोसायटी अधिनियम/ नियम के अनुसार सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद इसे या तो बट्टे खाते डाल दिया जाना चाहिए या बैंक द्वारा इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

10. जमानत का मूल्यन

प्राथमिक और संपार्श्विक जमानत का वसूलीयोग्य मूल्य, प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं में भिन्नता का प्रमुख स्रोत है। क्या इस क्षेत्र में अपनाये जाने हेतु, कम से कम बड़े खातों के लिए एकसमान दिशा-निर्देश निर्धारित किये जा सकते हैं।

जमानत के मूल्य निर्धारण में अतर से उत्पन्न भिन्नताओं को कम करने के लिए 10 लाख रूपये या उससे अधिक शेष राशिवाली अनर्जक आस्तियों के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि :

(ए) चालू आस्तियें और उनके मूल्यन की जांच पड़ताल सांविधिक लेखा - परीक्षा/ समवर्ती लेखा परीक्षा के समय की जायेगी। तथापि, शेयरों के मूल्यन की विश्वसनीयता बढ़ाने के प्रयोजनार्थ बड़ी राशिवाले अग्रिमों के मामले में बाह्य

एजेंसियों द्वारा वार्षिक अंतराल पर शेयरों की लेखा-परीक्षा करवाने पर विचार किया जा सकता है। निर्दिष्ट सीमा और बाह्य एजेंसियों के नाम बोर्ड द्वारा तय किए जाएंगे।

(बी) संपार्श्विक जमानतों यथा बैंक के पक्ष में प्रभारित अचल संपत्तियों का मूल्यन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं से तीन वर्ष में एक बार कराया जाना चाहिए।

****

<u>अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंड -प्रमुख अवधारणाएं</u>

(i) **अग्रिम**: `अग्रिम' शब्द का अर्थ होगा सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं जिनमें नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण, भुनाए/खरीदे गए बिल, आढ़तीय प्राप्य राशियां आदि तथा ईक्विटी स्वरूप के छोड़कर अन्य निवेश शामिल होंगे।

(ii) **पूरी तरह रक्षित :** जब बैंक को देय राशियां (पुनर्रचित ऋण की शर्तों के अनुसार मूलधन तथा प्राप्य ब्याज का वर्तमान मूल्य), उन राशियों के संबंध में बैंक के पक्ष में विधिवत् प्रभारित जमानत के मूल्य द्वारा पूरी तरह रक्षित हैं, तब बैंक को देय राशियों को पूरी तरह रक्षित समझा जाता है। जमानत वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों की भी गणना की जाएगी, बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप की हैं और प्रवर्तक/अन्यों की गारंटी आदि जैसे अमूर्त रूप में नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए बैंक की गारंटियों, राज्य सरकार की गारंटियों तथा केंद्र सरकार की गारंटियों को मूर्त जमानत के समतुल्य माना जाएगा।

(iii) पुनर्रचित **खाते:** पुनर्रचित खाता ऐसा खाता है जहां बैंक उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें प्रदान करने पर वह अन्यथा विचार न करता। पुनर्रचना में सामान्यतः अग्रिमों/जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि/चुकौती योग्य राशि/किस्तों की राशि/ ब्याज की दर (प्रतियोगी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा।

(iv) पुनरावृत्त **पुनर्रचित खाते:** जब कोई बैंक किसी खाते की दूसरी (अथवा उससे अधिक) बार पुनर्रचना करता है तो उस खाते को `पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' समझा जाएगा। तथापि, पहली पुनर्रचना की शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि दूसरी पुनर्रचना की जाती है तो उस खाते को `पुनरावृत्त पुनर्रचित खाता' नहीं समझा जाएगा।

(v) **एसएमई:** छोटे तथा मझौले उद्यम समय-समय पर संशोधित ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के 18 अप्रैल 2007 के परिपत्र शबैंवि. पीसीबी.परि. सं.35/ 09.09.001/06-07 में परिभाषित उपक्रम है।

(vi) **निर्दिष्ट अवधि**: निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज अथवा मूल धन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि।

(vii) **संतोषजनक कार्यनिष्पादन:** निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन का अर्थ उस अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन किए जाने से है :
<u>कृषीतर नकद ऋण खाते</u> : कृषीतर नकद ऋण खातों के मामले में उक्त खाता निर्दिष्ट अवधि के दौरान जैसा कि टियर I तथा टियर II शहरी सहकारी बैंकों के लिए लागू है, 90 दिन/ 180 दिन से अधिक अवधि के लिए चूक की स्थिति (आउट ऑफ ऑर्डर) में नहीं

होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई भी अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

कृषीतर मीयादी ऋण खाते : कृषितर मीयादी ऋण खातों के मामले में कोई भी भुगतान 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई भी अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

सभी कृषि खाते : कृषि खातों के मामले में निर्दिष्ट अवधि के अंत में खाता नियमित होना चाहिए।

<u>अनुबंध - 6</u>

पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंड

पुनर्रचित खातों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

		आवास ऋण	एसएमई ऋण पुनर्रचना	अन्य
पुनर्रचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
पुनर्रचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या			
	बकाया राशि			
	त्याग (उचित मूल्य में कमी)			

अनुबंध - 7

दिशानिर्देशों के अंतर्गत पुनर्रचित खातों का आस्ति वर्गीकरण

	ब्यौरे	**मामला 1**	**मामला 2**	**मामला 3**	**मामला 4**
I	भुगतान की कल्पित नियत तारीख	31.01.2007	31.01.2007		
	पुनर्रचना की कल्पित तारीख	31.03.2007	31.03.2007	31.03.2007	31.03.2007
	पुनर्रचना की तारीख को बकाया रहने की अवधि	2 महीने	2 महीने	18 महीने	18 महीने
	पुनर्रचना के पूर्व आस्ति वर्गीकरण(एसी)	`मानक'	`मानक'	`संदिग्ध - एक वर्ष से कम'	`संदिग्ध - एक वर्ष से कम'
	अनर्जक आस्ति की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	31.12.05 (कल्पित)	31.12.05 (कल्पित)
II	**पुनर्रचना के धसमय आस्ति वर्गीकरण**				
	उधारकर्ता का कल्पित स्तर	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए अपात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र	विशेष विनियामक व्यवहार के लिए अपात्र
	पुनर्रचना के पश्चात् आस्ति वर्गीकरण	`मानक'	31.03.07 (अर्थात् पुनर्रचना की तारीख को) से दर्जा घटाकर `अवमानक' श्रेणी में	संदिग्ध - एक वर्ष से कम	संदिग्ध - एक वर्ष से कम
	संशोधित शर्तों के अंतर्गत कल्पित पहला देय भुगतान	31.12.07	31.12.07	31.12.07	31.12.07
III	**पुनर्रचना के बाद आस्ति वर्गीकरण**				
अ.	**पुनर्रचित शर्तों के अनुसार खाता संतोषजनक कार्यनिष्पादन करता है**				
(ए)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि (अर्थात् 31.12.07 से 31.12.08 तक) के दौरान आस्ति वर्गीकरण	कोई परिवर्तन नहीं (अर्थात् `मानक' रहता है)	31.03.08 से (अर्थात् अवमानक रूप में वर्गीकरण के एक वर्ष के बाद) संदिग्ध - एक वर्ष से कम	कोई परिवर्तन नहीं (अर्थात् `संदिग्ध - एक वर्ष से कम' श्रेणी में ही रहता है)	31.12.07 से (अर्थात् `संदिग्ध - एक वर्ष से कम' के रूप में वर्गीकरण एक वर्ष के बाद

(बी)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के बाद आस्ति वर्गीकरण	`मानक' श्रेणी में जारी रहता है	`मानक' श्रेणी में उन्नयन किया गया	`मानक' श्रेणी में उन्नयन किया गया	`मानक' श्रेणी में उन्नयन किया गया
बी	**यदि पुनर्रचित शर्तों के अनुसार कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है**				
(ए)	एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण (यदि एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व असंतोषजनक कार्यनिष्पादन स्थापित हुआ हो)	30.04.2007 से `अवमानक' माना गया तथा 30.4.08 से दर्जा घटाकर `संदिग्ध -एक वर्ष से कम' किया गया	31.03.08 से (अर्थात् वर्गीकरण के एक वर्ष के बाद) संदिग्ध - एक वर्ष से कम	31.12.07 से `संदिग्ध एक से तीन वर्ष'	31.12.07 से (अर्थात् `संदिग्ध - एक वर्ष से कम' के रूप में वर्गीकरण से एक वर्ष की अवधि के बाद 31.12.06 को) संदिग्ध - एक से तीन वर्ष
(बी)	यदि असंतोषजनक कार्यनिष्पादन जारी रहता हो तो एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के बाद आस्ति वर्गीकरण	30.04.09 से `संदिग्ध - एक से तीन वर्ष' श्रेणी में जाएगा और 30.04.2011 से `संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक' में	31.03.09 से `संदिग्ध- एक से तीन वर्ष' श्रेणी में जाएगा और 31.03.2011 से संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक में	31.12.09 से संदिग्ध - तीन वर्ष से अधिक' श्रेणी में जाएगा।	31.12.09 से `संदिग्ध -तीन वर्ष से अधिक' श्रेणी में आगे डाला जाएगा।

अनुबंध - 8

कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के आस्ति वर्गीकरण संबंधी दिशानिर्देश

वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ हाने की तिथि (डीसीसीओ) अवश्य निर्धारित करनी चाहिए 'परियोजना ऋण' का तात्पर्य है ऐसा कोई मीयादी ऋण जो कोई आर्थिक उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से दिया गया है। सभी परियोजना ऋणों के मामले में बैंकों को ऋण मंजूर करते समय/वित्तीय क्लोझर (बहु. बैंकिंग अथवा सहायता संघीय व्यवस्था के मामले में आईआरएसी मानदंडो के प्रयोजन से सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है (i)इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण (ii)गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

* ग्रीन फिल्ड परियोजनाओं के लिए वित्तीय क्लोजर को इक्विटी धारकों तथा वित्तपोषकों के कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता के लिए परियोजना के लिए धन जुटाने के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तरह का वित्तपोषक का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए तथा परियोजना की कुल लागत के 90% से कम नहीं होना चाहिए।

1 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

1.1 किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने से पहले वसूली के रिकार्ड (90 दिन अतिदेय होने के बाद) के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा 1.3 से 1.5 के अनुसार उसे पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

1.2 किसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है तो एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो और जब तक कि निम्नलिखित पैरा 1.3 से 1.5 के अनुसार पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

1.3 यह भी हो सकता है कि कानूनी तथा सरकारी अनुमोदन में विलंब आदि कारणों से परियोजना पूर्ण होने में विलंब हो रहा है। इस प्रकार प्रवर्तक के नियंत्रण में न होनेवाले सभी पहलूओं के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है तथा इसके लिए बैंकों द्वारा ऋण की पुनर्रचना करना आवश्यक होगा। यदि 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किसी ऋण को अग्रिमों की पुनर्रचना के दिशानिर्देश पर 6 मार्च 2009 के हमारे परिपत्र सं.शबैंवि.पीसीबी.बीपीडी.सं.53/ 13.05.000/2008-09 के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि (डीसीसीओ) से दो वर्ष के भीतर पुनर्रचित किया जाता है तो उसे मानक आस्ति के रूप में बनाए रखा जा सकता है, यदि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निम्नलिखित सीमाओं के

भीतर निर्धारित की जाती है और इसके अलावा यदि पुनर्रचित शर्तों के अनुसार खाते में ब्याज का भुगतान किया जाता रहा हो।

(ए) न्यायिक मामलों वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं यदि उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि में बढ़ोतरी कारण मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही अथवा न्यायिक मामला हो तो अगले 2 वर्ष तक (समय सीमा में 2 वर्ष की मौजूदा वृद्धि के बाद अर्थात् कुल 4 वर्ष की) समय वृद्धि

(बी) प्रोमोटरों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हुआ विलंब
न्यायिक मामलों से इतर मामलों में 1 वर्ष तक समय सीमा में (2 वर्ष की मौजूदा बढ़ोतरी के बाद 1 वर्ष अर्थात् कुल 3 वर्ष की) समय वृद्धि

उपर्युक्त पैरा 1.3 के अंतर्गत दी गयी छूट तभी लागू होगी जब पुनर्रचना के लिए आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष की समय सीमा समाप्त होने से पहले प्राप्त किया गया है और खाता वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी मानक बना हुआ हो। अन्य लागू होने वाली शर्तें निम्नलिखित होगी :

ए. जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें बैंकों को ऐसे पुनर्रचित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से दो वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय अर्ज नहीं करनी चाहिए।

बी . बैंकों को ऐसे खातों के लिए जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए :

वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की मूल तिथि से दो वर्ष तक	0.40%
वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद तीसरे एवं चौथे वर्ष के दौरान	1.00%

इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथ में बढ़ोतरी मात्र को भी पुनर्रचित माना जाएगा भले ही अन्य सभी शर्तें पूर्ववत बनी रहें।

2.गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

2.1 किसी गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ के पहले वसूली रिकार्ड (90 दिन अतिदेय होने के बाद) के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि निम्नलिखित पैरा 2.3 से 2.5 के अनुसार उसे पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता

2.2 किसी गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियरेजना के ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा यदि वह वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से छ: महीनें के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं कर पाता है , भले ही वह वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित हो और जब

तक कि उसे निम्नलिखित पैरा 2.3 से 2.4 के अनुसार पुनर्रचित नहीं किया जाता और वह ' आस्ति मानक' के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र नहीं हो जाता।

2.3 गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियरेजनाओं के मामले में यदि वाणिज्यिक परिचालनों को प्रारंभ करने में विलंब वित्तीय क्लोजर के समय तयशुदा परियोजना समाप्त करने की तिथि से छः महीने से अधिक होता है, तो बैंक वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि तय कर सकते हैं और 6 मार्च 2009 के हमारे परिपत्र में निहित उपबंधों के अनुसार खातों की पुनर्रचना करके 'मानक' वर्गीकरण बनाए रख सकते हैं, बशर्ते वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नई तिथि वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से बारह महीने की अवधि से अधिक न हो। अन्य बातों के साथ इसका यह तात्पर्य होगा कि पुनर्रचित करने का आवेदन वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से छः माह का समय पूरा होने से पहले तथा जब वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार खाता अभी भी 'मानक' हो तब प्राप्त हुआ है।

नीचे दी गयी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

ए. जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें बैंकों को ऐसे पुनर्रचित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि से छ महीने से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

बी. बैंकों को ऐसे खातों के लिए जब तक कि उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए :

वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की मूल तिथि से छः महीने तक	0.40%
अगले छः महीने के दौरान	1.00%

2.4 इस प्रयोजन से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि में बढ़ोतरी मात्र को भी पुनर्रचित माना जाएगा भले ही अन्य सभी शर्तें पूर्ववत बनी रहें।

3 तथापि यह दिशानिर्देश 6 मार्च 2009 के परिपत्र के पैरा 7.1.3 में दिए गए अनुसार वाणिज्य स्थावर संपदा तथा आवास ऋण की पुनर्रचना के लिए लागू नहीं होंगे।

4. अन्य मुद्दे

4.1 वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले परियोजना ऋणों की पुनर्रचना के अन्य सभी पहलुओं पर 6 मार्च 2009 के परिपत्र के उपबंध लागू होंगे। वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद परियोजना ऋणों की पुनर्रचना भी इन्हीं अनुदेशों के अनुसार की जानी चाहिए।

4.2 परियोजना के दायरे एवं आकार में वृद्धि के कारण परियोजना के परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी परियोजना ऋण के चुकौती कार्यक्रम में किसी परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा यदि :

(i) परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि मौजूदा परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले होती है।
(ii) मूल परियोजना की परिकल्पित लागत में किसी प्रकार की अत्यधिक बढ़ोतरी को छोड़कर लागत में अन्य वृद्धि मूल परिव्यय के 25% अथवा उससे अधिक है।
(iii) बैंक परियोजना के दायरे में वृद्धि को अनुमोदित तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निर्धारित करने से पहले परियोजना की व्यावहारिकता का पुनर्मूल्यांकन करता है।
(iv) पुन: रेंटिंग के उपरांत (यदि पहले रेटिंग की गयी हो) नयी रेटिंग पिछली रेटिंग से एक से अधिक श्रेणी कम न हो।

संरचनात्मक क्षेत्र ऋण की परिभाषा
ऋणदाताओं (अर्थात् बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा किसी संरचनात्मक सुविधा के लिए किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई कोई ऋण सुविधा, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, "सरचनात्मक क्षेत्र ऋण " की परिभाषा के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में, किसी उधारकर्ता कंपनी को दी गई ऋण सुविधा जो विकसित करना या परिचालित करना और उसका रखरखाव करना, या विकसित करना, परिचालित करना और उसका रखरखाव करना जैसी मूलभूत सुविधा जो निम्नलिखित कार्यों में संलग्न एक परियोजना हो।

कोई सडक जिसके अंतर्गत टोल रोड, कोई पुल या रेल प्रणाली शामिल है; कोई राजमार्ग परियोजना जिसके अंतर्गत राजमार्ग परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में आने वाली अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं; कोई बंदरगाह, विमानपत्तन, देशी जलमार्ग या देशी बंदरगाह; कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शोधन प्रणाली, सफाई और मलजल प्रणाली या ठोस कचरा निपटान प्रणाली; दूर संचार सेवाएं, चाहे बेसिक या सेल्युलर, जिसके अंतर्गत पेजिंग, देशी सैटेलाइट सेवाएं (अर्थात् : दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वाधिकृत और परिचालित सैटेलाइट), ट्रंकिंग नेटवर्क, बॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं; कोई औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र; विद्युत का उत्पादन या उत्पादन और वितरण;नई प्रेषण और वितरण लाइनों का नेटवर्क डालकर विद्युत का प्रेषण या वितरण; ऐसी परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य जिनमें कृषि प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र के लिए निविष्टियों की आपूर्ति शामिल हों; प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (जैसे फल, सब्जियां और फूल) के परिरक्षण और भंडारण से संबंधित निर्माण तथा गुणवत्ता के लिए परीक्षण सुविधाएँ ; शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों का निर्माण; गैस, कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन्स लगाना अथवा उनका रखरखाव ; इसी प्रकार की कोई अन्य बुनियादी सुविधा।

****

परिशिष्ट

क. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.सं	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.49/09.14.000/2009-10	24.05.2011	उपदान सीमा में बढ़ोतरी - विवेकपूर्ण विनियामकीय पद्धति
2.	शबैंवि.पीसीबी. परि. सं. 59/09.14.000/2009-10	23.04.2010	अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं
3.	शबैंवि.पीसीबी. परि. सं. 29/09.11.600/2009-10	08.12.2009	वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा - मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा
4.	शबैंवि.कैंका.एलएस.परि.सं.66/07.01.000/2008-09	06.05.2009	वर्ष 2009 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - परिचालन क्षेत्र में विस्तार- उदारीकरण
5.	शबैंवि.पीसीबी. बीपीडी परि. सं. 53/13.05.000/2008-09	06.03.2009	अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
6.	शबैंवि.पीसीबी. परि. सं. 29/09.11.600/2008-09	01.12.2008	मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण तथा ऋण के लिए जोखिम भारिता
7.	शबैंवि.पीसीबी.परि. सं. 47/13.05.000/2008-09	26.05.2008	मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण से संबंधित अपेक्षाएं
8.	शबैंवि.पीसीबी. परि. सं. 38/09.14.000/2007-08	02.04.2008	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानदंड
9.	शबैंवि.पीसीबी. परि. सं. 35/09.20.001/2007-08	07.03.2008	विनियामक प्रयोजन के लिए शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण
10.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.38/09.14.000/2006-07	30.04.2007	वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड
11	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.30/09.11.600/2006-07	19.02.2007	वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की तीसरी समीक्षा - मानक अस्तियों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं
12	शबैंवि.पीसीबी.परि.57/09.11.600/05-06	15.06.2006	2006-07 वर्ष के लिये वार्षिक नीति वक्तव्य - मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं
13.	शबैंवि.पीसीबी.परि.20/09.11.600/05-06	24.11.2005	2005-06 वर्ष के लिये वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा-मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं
14.	शबैंवि.पीसीबी.परि.1/09.140.00/05-06	04.07.2005	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड
15.	शबैंवि.पीसीबी.परि.42/09.140.00/04-05	30.03.2005	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण,प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में विवेकपूर्ण

			मानदंड-उपचित ब्याज की गणना की प्रक्रिया
16.	शबैंवि.पीसीबी.परि.26/09.140.00/ 04-05	01.11.2004	विवेकपूर्ण मानदंड-राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण
17.	शबैंवि.पीसीबी.परि.21/12.05.05/0 4-05	27.09.2004	2004-05 वर्ष के लिये वार्षिक नीति वक्तव्य - अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं
18.	शबैंवि.पीसीबी.परि.22/12.05.05/0 4-05	27.09.2004	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण- 90 दिवसीय मानदंड अपनाना
19.	शबैंवि.पीसीबी.परि.17/13.04.00/0 4-05	04.09.2004	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण- 90 दिवसीय मानदंड अपनाना
20.	शबैंवि.पीसीबी.परि.9/13.04. 00/05-06	04.08.2004	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण- 90 दिवसीय मानदंड अपनाना
21.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.55/ 12.05.05/ 2003-04	30.06.2004	2004-05 वर्ष के लिये वार्षिक नीति वक्तव्य - एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता
22.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.53/ 13.05.03/2003-04	30.06.2004	2004-05 वर्ष के लिये वार्षिक नीती वक्तव्य - कृषि अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
23.	शबैवि.पीसीबी.सं.49/ 12.05. 03/2003-04	01.06.2004	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण मानदंड
24.	शबैवि.परि.48/ 13.04.00/2002-03	22.05.2005	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण - ऋण क्षति की पहचान के लिए 90 दिन मानदंड - छूट
25.	शबैवि.बीएसडी-I सं.15/ 12.05.05/2002-03	11.09.2002	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
26.	शबैवि.बीएसडी-I.15/ 12.05.05/2002-03	11.09.2002	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण - 12 माह मानदंड
27.	शबैवि.बीएसडी-I पीसीबी.सं. 44/12.05.05/2001-02	21.05.2002	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण - 12 माह मानदंड - कृषि अग्रिमों का वर्गीकरण
28.	शबैवि.बीएसडी-I पीसीबी. 22/ 12.05.05/2001-02	12.11.2001	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण - 12 माह मानदंड - कृषि अग्रिमों का वर्गीकरण - पुर्नगठित खातों का निरुपण
29.	शबैवि.सं.बीएसडी-I. पीसीबी. 13/12.05.05/2001-02	06.10.2001	आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में भिन्नता
30.	शबैवि.सं.बीएसडी-I पीसीबी 12/12.05.05/2001-02	05.10.2001	आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण - 90 दिन मानदंड आपनाना
31.	शबैवि.सं.बीएसडी-I.16/ 12.05.05/2000-01	18.12.2000	आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और संबंधित मामले - "गतदेय" अवधारणा
32.	शबैवि.सं.बीएसडी-I पीसीबी 14/12.05.05/2000-01	12.11.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण
33.	शबैवि.सीओ.सं.बीएसडी-I	24.05.2000	आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण,

	पीसीबी.(परि.)34/ 12.05.05/ 1999-00		प्रावधानीकरण और निवेशों का मूल्यन
34.	शबैवि.सं.बीएसडी. पीसीबी.25/12.05.05/ 1999-00	28.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
35.	शबैवि.सं.बीएसडी-I/ 22/ 12.05.00/1999-00	08.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित कृषि ऋण
36.	शबैवि.सं.बीएसडी-I/ 11/ 12.05.00/ 1999-00	12.10.1999	स्वर्ण ऋणों के अनर्जक आस्तियों में वर्गीकरण पर स्पष्टीकरण
37.	शबैवि.सं.बीएसडी-I/2/12.05.05/ 1999-00	28.07.1999	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, और प्रावधानीकरण - वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की अवधारणा
38.	शबैवि.सं.बीएसडी-I/ 29/12.05.05/ 1998-99	23.04.1999	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और संबंधित मामले
39.	शबैवि.सं.बीएसडी-I/ 2/12.05.01/ 1998-99	17.07.998	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - कृषि अग्रिम
40.	शबैवि.सं.आईएण्डएल. (पीसीबी)42/12.05.00/ 1996-97	20.03.1997	विवेकपूर्ण मानदंड - आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
41.	शबैवि.सं.आईएण्डएल(पीसीबी)68/12.05.00/ 1995-96	10.06.1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - स्पष्टीकरण
42.	शबैवि.सं.आईएण्डएल. (पीसीबी)61/12.05.00/ 1994-95	06.06.1995	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन
43.	शबैवि.सं.आईएण्डएल. (पीसीबी)46/12.05.00/ 1994-95	28.02.1995	विवेकपूर्ण मानदंड - आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - उपचित ब्याज के परिकलन की क्रियाविधि
44.	शबैवि.सं.आईएण्डएल. (पीसीबी)37/12.05.00/ 1994-95	09.01.1995	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
45.	शबैवि.सं.आईएण्डएल. 86/ 12.05.00/ 1993-94	28.06.1994	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
46.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.63/ 12.05.00/ 1993-94	01.03.1994	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
47	शबैवि.सं.48/12.05.00/ 1993-94	14.01.1994	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले
48	शबैवि.सं.45/12.05.00/ 1993-94	24.12.1993	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं के बारे में स्पष्टीकरण
49	शबैवि.सं.आईएण्डएल.	17.06.1993	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण

	71/जे.1/1992-93		और अन्य संबंधित मामले - स्पष्टीकरण
50	शबैवि.सं.आईएण्डएल.63/ जे.1/1992-93	16.04.1993	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - स्पष्टीकरण
51	शबैवि.सं.आईएण्डएल.38/ जे.1/ 1992-93	09.02.1993	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - स्पष्टीकरण
52	शबैवि.सं.आईएण्डएल.51/ जे.1/1990-91	23.02.1991	अनर्जक ऋणों का वर्गीकरण

ख. उन अन्य परिपत्रों की सूची जिनसे अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है:

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1	शबैवि.सं.डीएस. पीसीबी. परि.3/13.04.00/2002-03	20.07.2002	मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना
2	शबैवि.सं.पीओटी.पीसीबी. परि.सं.45/09.116.00/ 2000-01	25.04.2001	प्राथमिक सहकारी बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का लागू होना
3.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी. 20/ 13.04.00/1997-98	10.11.1997	कृषि अग्रिमों पर प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा ब्याज का चक्रवृध्दिकरण